

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट
Abridged Annual Report
2016-17

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. महाराष्ट्र

CENTRAL BANK OF INDIA

Central Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Maharashtra



<p>निदेशक मंडल श्री राजीव ऋषि श्री बी. के. दिवाकर श्री पी. रमण मूर्ती डॉ. सौरभ गर्ग श्री शेखर भटनागर श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय श्री केतुल आर. पटेल श्री एन. नित्यानंद</p>	<p>BOARD OF DIRECTORS SHRI RAJEEV RISHI SHRI B.K. DIVAKARA SHRI P. RAMANA MURTHY DR. SAURABH GARG SHRI SHEKHAR BHATNAGAR SHRI SUPRATIM BANDYOPADHYAY SHRI KETUL R. PATEL SHRI N. NITYANANDA</p>
<p>लेखा परीक्षक मै. चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय मै. लोढ़ा एण्ड कं. मै. पाठक एच. डी. एण्ड असोशिएट्स मै. एस. के. मेहता एण्ड कं.</p>	<p>AUDITORS M/s Chandabhoy & Jassoobhoy M/s Lodha & Co M/s Pathak H.D. & Associates M/s S.K. Mehta & Co.</p>
<p>रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुम्बई - 400 083 टेलीफोन नं. : 022-49186270 फैक्स नं. : 022-49186060 ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>	<p>REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS Link Intime India Pvt. Limited C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai – 400 083 Tel No. : 022 – 49186270 Fax No. : 022 – 49186060 E-mail ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>
<p>बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्दरमुखी नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021 संपर्क सं. : 022 - 66387818 फैक्स नं. : 022 - 22835198 ई-मेल आईडी : agmcompsec@centralbank.co.in Investors@centralbank.co.in</p>	<p>ADDRESS FOR CORESPONDENCE WITH THE BANK AGM-MBD / Company Secretary and Compliance Officer Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point, Mumbai – 400021 Contact No. : 022 - 66387818 FAX No. : 022 - 22835198 E-mail ID : agmcompsec@centralbank.co.in investors@centralbank.co.in</p>



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

हाल ही में समाप्त यह वर्ष भी वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिदृश्य की दृष्टि से चुनौती पूर्ण ही रहा है।

तथापि, वर्ष 2016 के दौरान वैश्विक प्रगति की दर में रही मंदी के पश्चात वर्ष 2017 में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। भावनात्मक पहलुओं के बढ़ने से यूएस की आर्थिक प्रगति में सुधार के आसार हैं। बेरोजगारी में कमी एवं मुद्रा स्फीति के बढ़ने से विदेशी विनिमय दरों में वृद्धि हुई है। नई सरकार द्वारा अनुमानित वित्तीय प्रोत्साहनों से विकास की सम्भावनाओं को और अधिक बल मिलेगा। डॉलर में मजबूती, बढ़ते हुए संरक्षणवाद इत्यादि के कारण यू.एस. में कुछ हद तक विकास बाधित हुआ है। सतत मौद्रिक प्रोत्साहन के चलते यूरोजोन संतुलित विकास पथ पर कायम रहेगा। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएं “ब्रेकिजट” समझौतेके परिणामों पर भी निर्भर होंगी। वृद्धिशील उत्पादन एवं निर्यात, जापानी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ हद तक मददगार रहे हैं। चीन ने पिछले वर्ष अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलित करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था की मन्दी की मार से बचने के लिए घरेलू उपभोग संवर्द्धित विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के कारण कुछ वस्तु निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं को अवश्य फायदा होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी के “अल्पकालिक” प्रभाव से उबर रही है। नोटबंदी के कारण बैंकिंग सिस्टम में भारी मात्रा में एकत्र हुई जमा राशियों से ऋणों की वृद्धि में सहायता मिलेगी। साथ ही, वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में घोषित अनुकूल उपायों से इस वृद्धि में और भी उछाल आएगा। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से भी आर्थिक प्रगति में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 2017-18 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.2 % रहने संबंधी अपने पूर्वानुमान पर अभी भी कायम है। भारतीय अर्थव्यवस्था की पूर्व में अनुमानित वृद्धि दर भी 6.6% से बढ़कर 6.8% होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुद्रा स्फीति घट कर 4.5% रह गयी है, जो कि वर्ष 2015-16 में 4.9% थी। इस दौरान शक्कर एवं दलहनों की कीमतें उच्च स्तर पर बनी रहीं। उपयोगी वस्तुओं की बढ़ती हुई वैश्विक कीमतों एवं मौद्रिक अस्थिरता से मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी का खतरा और भी बढ़ गया है।

दीर्घकालीन मंदी के बाद निर्यात में अनुकूल सुधार हुआ है। तेल के आयात के बढ़ते हुए बिल के कारण आयात में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाते में घाटे का अनुपात लगभग 1% रहने का अनुमान है। अप्रैल से दिसम्बर 2016-17 के दौरान संचयी आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रगति की दर दो अंकों में रही है। हाल ही में, पोर्टफोलियो निवेश में भी सकारात्मक रुख देखने को मिला है।

स्थिर सरकार, नीतिगत पहलों, सुधारात्मक उपायों एवं जनसांख्यिकीय अनुकूलता के कारण मध्यावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहना संभावित है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कठिन दौर अभी भी जारी है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भुगतान बैंक तथा निजी एवं विदेशी बैंकों जैसी अन्य संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी के कारण बैंकिंग उद्योग में जमा राशियां बढ़ने से नकद आधारित उद्योग प्रभावित हुए हैं। कॉर्पोरेट तुलन-पत्रों में दबाव की स्थिति के चलते ऋणों में वृद्धि भी मंद रही है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 हमारे बैंक के लिए सुदृढ़ीकरण के साथ चुनौतियों भरा वर्ष रहा है। बैंक ने अपनी कार्य योजना को वसूली पर केंद्रित रखना जारी रखा है, जिससे इस वर्ष के दौरान बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त पिछले वर्ष में हुई ₹ 1287 करोड़ की नकद वसूली की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त इस वित्तीय वर्ष में नकद वसूली 84.77% की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹ 2378 करोड़ हुई। दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त इस वित्तीय वर्ष में ₹ 1183 करोड़ का आस्ति अपग्रेडेशन हुआ, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त पिछले वर्ष में ₹ 608 करोड़ हुआ था। निरंतर बढ़ती अनर्जक आस्तियां एवं उनका समाधान करना, बैंकिंग उद्योग के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की विशिष्टताओं में संशोधन किया है तथा बैंकों पर निगरानी रखने के लिए आस्ति गुणवत्ता एवं लाभप्रदता पर जोर देने के साथ साथ तीनों जोखिमों की सीमा रेखा को भी परिभाषित किया है। वसूली प्रक्रिया की गति को बढ़ाने में दिवालियापन सुधार कानून 2016 एक स्वागतयोग्य कदम है।



वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 449679 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 456336 करोड़ था. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक की जमाराशियां 11.45% बढ़कर ₹ 296671 करोड़ हो गयी है. कुल जमा राशियों में कासा का प्रतिशत, जो पिछले वर्ष 35.48% था, वह इस वर्ष बढ़कर 39.20 % हो गया है. बैंक के व्यवसाय में लाभकारी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उच्च लागत जमाओं में काफी कमी की गई है. कुल जमाओं में उच्च लागत जमाओं का अनुपात जो मार्च, 2016 में काफी अधिक 5.56% था, वह मार्च, 2017 में घटकर 3.70% हो गया है. कुल कोर जमाओं में 13.65% की वृद्धि से यह स्पष्ट परिलक्षित हुआ है.

बैंक का परिचालन लाभ वर्ष-दर-वर्ष 16.92% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 3089 करोड़ हुआ, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 2642 करोड़ था. तथापि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्यतः उच्च प्रावधानों के कारण बैंक को ₹ 2439 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक की जमा लागत घटकर 6.20 % हो गयी, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.86 % थी. बैंक की शुद्ध ब्याज आय, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 7065 करोड़ थी, वह इस वर्ष घटकर ₹ 6574 करोड़ रह गयी. यद्यपि, बैंक की गैर ब्याज आय, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 1938 करोड़ थी, वह दर वर्ष आधार पर 48.38% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बढ़कर ₹ 2876 करोड़ हो गई है.

पिछले कुछ वर्षों में बैंक के लिए आस्ति गुणवत्ता एक चिंता का विषय बना हुआ है. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में सकल अग्रिमों में सकल एनपीए बढ़कर 17.81% हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 11.95% था. यह वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार के लिए आईबीपीसी सहभागिता के माध्यम से ₹ 22991.22 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री की वजह से हुई. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए बढ़कर 10.20% हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 7.36% था. आपका बैंक एनपीए प्रबंधन में प्रोएक्टिव रहा है और एनपीए के स्तर को घटाने में यह अपने प्रयास जारी रखेगा. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रोविजन कवरेज अनुपात बढ़कर 58.43% हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 51.52% था.

मार्च, 2017 को बैंक की कुल 4714 शाखाएं हैं जिनमें 2/3 शाखाएं ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में हैं और 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएं हैं और यह अपनी पहचान रिटेल बैंक के रूप में बनाएं रखेगा. आपका बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि रिटेल बैंक पोर्टफोलियों अब तक की तुलना में और अधिक तेजी से विकास करे.

बैंक की दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है.


शुभकामनाओं सहित
आपका,

हस्त/-
राजीव ऋषि

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 मई, 2017




निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री राजीव ऋषि
RAJEEV RISHI

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR



श्री बी. के. दिवाकर
Shri B.K. Divakara

कार्यपालक निदेशक
Executive Director



श्री पी. आर. मूर्ती
Shri P.R. Murthy

कार्यपालक निदेशक
Executive Director



डॉ. सौरभ गर्ग
Dr. Saurabh Garg

भारत सरकार नामित निदेशक
Govt. of India Nominee Director



श्री शेखर भटनागर
Shri Shekhar Bhatnagar

आरबीआई नामित निदेशक
RBI Nominee Director




श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
Shri Supratim Bandyopadhyay

गैर-सरकारी निदेशक
Non-Official Director



श्री केतुल आर. पटेल
Shri Ketul Ramubhai Patel

गैर-सरकारी निदेशक
Non-Official Director



श्री एन. नित्यानंद
Shri N. Nityananda

गैर-सरकारी निदेशक
Non-Official Director



सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चन्द्रमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय की 9वीं मंजिल में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी।

- 1) दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक का लेखापरीक्षित स्टैंड एलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का स्टैंड एलोन एवं समेकित लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना।
- 2) एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना।

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधनों के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 ('योजना') एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे 'बोर्ड' कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 6500/- करोड़ (रुपए छः हजार पांच सौ करोड़ केवल) (प्रीमियम, यदि हो, सहित) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपयुक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात्, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 ('सेबी आईसीडीआर विनियम') के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयांतरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज



के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण), 2000, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें संयुक्त रूप से ('सक्षम प्राधिकारी' के तौर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/ अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/ अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें 'आवश्यक अनुमोदन कहा गया है') निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक श्रृंखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनियम योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में यथानिबंधित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन के मामले में:

- ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा।
- बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5% की छूट पर शेयर, प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है।
- सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि कि एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथालागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि कथित नए इक्विटी शेयर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के अधीन जारी किए जाएंगे और वे सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समान माने जाएंगे और वे घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई हो, के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो उनकी घोषणा के समय प्रचलित हैं, के लिए पात्र होंगे।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु, निवेशकों की श्रृंखला, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले निर्गम पर प्रीमियम सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के नियमों को निर्धारित करने के लिए, निदेशक मंडल एतद्वारा प्राधिकृत है और रहेगा तथा उन सभी कार्यों विलेखों व मामलों को करने तथा उन सभी विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों, जो इसके संपूर्ण विवेकाधिकारों में आवश्यक उचित अथवा वांछित हों, का निष्पादन करने तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम आबंटन एवं निर्गम प्राप्ति के उपयोग के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का प्रश्न, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान करने तथा सदस्यों के और अधिक अनुमोदन के बिना, बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने संपूर्ण विवेक में उचित एवं आवश्यक समझे जाने के अनुरूप उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, समापनों, जुड़ावों को प्रभावी करने तथा इस प्रस्ताव के द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल एतद्वारा किसी भी बुक-रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(रियों), पंजीयक(कों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेन्सियों, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित अथवा शामिल हैं, के साथ ऐसे सभी ठहरावों को करने एवं उनके निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और रहेगा तथा ऐसे सभी संस्थानों एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा इसी प्रकार की



अन्य मदों हेतु पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेन्सियों के साथ ऐसे सभी ठहरावों, अनुबंधों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन करने के लिए निदेशक मंडल प्राधिकृत है और रहेगा.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर एतद्वारा निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर्स/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई है), अंकित मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/वारंट के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयर्स एवं अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिफॉर्ड अथवा बही बंदी की तिथि का निर्धारण तथा अन्य सम्बंधित अथवा प्रासंगिक मामले, भारत एवं/अथवा विदेश में एक अथवा एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, निदेशक मंडल जो भी अपने संपूर्ण विवेकाधीन उचित समझे, सहित निर्गम(मों) का स्वरूप एवं नियमों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है और रहेगा.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस तरह के उन शेयर्स/प्रतिभूतियों, जो अभिदत्त न हों, को निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अंतर्गत उस प्रकार से, जैसा निदेशक मंडल उचित समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के अनुसार निपटान कर सकेगा.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यो, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यो, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.”

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.05.2017

हस्त/-
(ए. के. दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमवीडी/
कंपनी सचिव

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते /सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शुकवार दिनांक 23 जून, 2017 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस रविवार, 25 जून, 2017 है जो छुट्टी का दिन है.



3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार दिनांक 23 जून, 2017 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत कर दी जाए, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस रविवार, 25 जून, 2017 है जो छुट्टी का दिन है।

4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में "प्रॉक्सी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहिचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए।

6. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 27 जून, 2017 (मंगलवार) से दिनांक 30 जून, 2017 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी।

7. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा / होगी।

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा।

8. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा।

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं।

10.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अतः शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें। आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है। शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि। साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों।

तदुपि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें।

- ▶ बैंक का नाम



- ▶ शाखा का पता
- ▶ बैंक खाता संख्या
- ▶ शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- ▶ शाखा का आईएफएससी कोड
(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पत्रे की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए.

10.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरी के पास दर्ज कराए गए पते पर ही लाभांश वारंट (डी.डब्ल्यू.) के द्वारा भेजे गए हैं.

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

11. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

12. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

1. कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के खंड 44 के अनुपालन में बैंक, वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

- (i) रिमोट ई-वोटिंग समयावधि मंगलवार दिनांक 27 जून 2017 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारंभ हो कर गुरुवार दिनांक 29 जून 2017 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान शनिवार दिनांक 24 जून 2017 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.



- (ii) शेयर धारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.
- (iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.
- (iv) अब अपना यूजर आईडी डालें
- ए. डीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी
- बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी
- सी. भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करें.
- (v) इसके पश्चात प्रदर्शित की गयी सत्यापन छवि को एंटर कर लॉग इन पर क्लिक करें.
- (vi) यदि आपके पास शेयर्स डीमेट रूप में हैं एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है एवं पूर्व में आपने किसी कंपनी / संगठन में वोटिंग की है तब आपके वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाए.
- (vii) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

	डी मेट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय एल्फान्यूमेरिक * पैन एंटर करें. (डीमेट शेयरधारकों के साथ साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे निदर्शित पैन फील्ड में ईजीएम नोटिस के पते के स्टिकर में मुद्रित क्रम संख्या का उपयोग करें.
लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमेट खाते अथवा लॉग-इन करने के लिए बैंक के रिकार्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें. यदि वे विवरण बैंक अथवा निक्षेपागार में अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण अनुदेश (iv) में किए उल्लेख के अनुसार सदस्य आई डी / फोलियो नंबर में प्रविष्ट करें.

- (viii) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्ट करने के पश्चात, “सबमिट” टेब पर क्लिक करें.
- (ix) तब ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा. तथापि वे सदस्य, जिनके शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं वे “पासवर्ड क्रियेशन/मेन्सु में पहुंचेंगे जहां उन्हें नये पास वर्ड फील्ड में अनिवार्यतः लॉग इन पासवर्ड एंटर करना होगा. कृपया नोट करें कि डीमेट शेयर धारकों द्वारा इस पासवर्डका उपयोग अन्य संस्था/कंपनी में यदि मतदान के लिए पात्र हों तो वहां भी संकल्पों की वोटिंग के लिए वे इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगे, बशर्ते कि कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी वरतें.
- (x) भौतिक स्वरूप में शेयरधारित करने वाले सदस्य, अपने विवरण, सिर्फ इस सूचना में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए ही कर सकते हैं.
- (xi) संबंधित <कंपनी का नाम> जिस पर आप वोट करना चाहते हों के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें.
- (xii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको “संकल्प विवरण” एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए हां / नहीं का विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं के विकल्प का चयन करें. हां का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति दर्शाता है एवं नहीं का विकल्प आपकी असहमति दर्शाता है.
- (xiii) यदि आप संकल्प का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हों तो ‘रिजोल्यूशन्स फाइल’ लिंक पर क्लिक करें.
- (xiv) ‘रिजोल्यूशन’ का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, “सबमिट” पर क्लिक करें. एक कन्फर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओ.के.” पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु “कैंसिल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.
- (xv) संकल्प पर एक बार अपना वोट ‘कन्फर्म’ करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.



- (xvi) आप वोटिंग पृष्ठ पर “प्रिन्ट करने के लिए यहां क्लिक करें” विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिन्ट ले सकते हैं.
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल जाता है तब यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन एंटर कर “फॉरगॉट पासवर्ड” पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा दिये गये विवरण को एंटर करें.
- (xviii) शेयर धारक एड्रॉयड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प एम-वोटिंग उपयोग कर अपना वोट दे सकते हैं. यह एम-वोटिंग एप्प गुगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एप्पल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमशः एप्प स्टोर एवं विंडोज फोन स्टोर से यह एप्प डाउनलोड कर सकते हैं. कृपया अपने मोबाइल से वोटिंग करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनुपालन करें.
- (xix) गैर वैयक्तिक शेयरधारक एवं अभिरक्षकों के लिए नोट
- गैर वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगइन कर अपने आपको कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत करना आवश्यक है.
 - पंजीकरण फार्म पर संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उसकी एक स्कैन प्रति helpdesk.evotingindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए.
 - लॉगिन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन प्रयोगकर्ता निर्मित किया जाना चाहिए. अनुपालनकर्ता उपयोगकर्ता उन खातों का लिंक देने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं.
 - खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे वोट करने में सक्षम होंगे.
 - बोर्ड के संकल्प एवं मुख्तारनामा जिसे अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया गया है, जांचकर्ता द्वारा जांचने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए.
- (xx) ई- वोटिंग के मामले में यदि आपकी कोई शंका अथवा मुद्दा है, तो आप वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत पर उपलब्ध आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (“एफएक्यू”) एवं ई-वोटिंग के मेन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं.
- II कट-ऑफ तारीख दिनांक 24 जून 2017 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरोंधारकों के शेयरों के अनुपात में उनके वोटिंग अधिकार होंगे. तथापि, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.
- III एक व्यक्ति, जिनका नाम सदस्यों के पंजीकरण में अथवा जमाकर्ता द्वारा सम्पोषित लाभार्थी स्वामी के पंजीकरण में रिकार्ड किया गया है, कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 24 जून, 2017 को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग/पूल की सुविधा के लिए पात्र होंगे.
- IV कोई व्यक्ति जो बैंक की सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 24 जून, 2017 को शेयर धारण करते हैं, उपरोक्त दिए अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.
- V इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.
- VI ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु ईजेडवाई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट्स एवं कोर्पोरेट लीगल एडवाइजर को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.
- VII जांचकर्ता, न्यूनतम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में मतों के अनब्लॉक करने ई-वोटिंग करने की अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवस से अनधिक अवधि के भीतर होंगे, जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं और मतों की जांच रिपोर्ट, चाहे वह पक्ष अथवा विरुद्ध जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाएगी.
- VIII जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प परित करने के 2 दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.



व्याख्यात्मक विवरणी

एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

बासेल III के विनियमन के अनुसार, बैंक को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक सामान्य इक्विटी टीयर - 1 (सीईटी - 1) अनुपात न्यूनतम 5.5% एवं ईक्विटी पूंजी के रूप में 1.88% की पूंजी संरक्षण टियर 1 अनुपात 8.88% एवं समग्र सीआरएआर 10.88% बनाए रखना आवश्यक है। बासेल III की आवश्यकताओं को पूर्ण करने, बैंक की भावी विस्तार योजनाओं एवं तत्परिणामी पूंजी प्रभार, के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए, अपनी पूंजी में वृद्धि करना आवश्यक है।

अनुमानित वृद्धि के आधार पर, आपके निदेशकों ने ₹ 6500 करोड़ (रुपये छः हजार पांच सौ करोड़) तक की ईक्विटी पूंजी जुटाने करने का निर्णय लिया है एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों एवं सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों सहित सभी लागू विनियमों के अधीन बैंक, ईक्विटी पूंजी उगाही विकल्पों यथा सार्वजनिक निर्गमों (अर्थात् अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/अथवा अधिकार निर्गम और/अथवा निजी प्लेसमेंट और/अथवा आर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट्स और/अथवा अन्य किसी माध्यम का उपयोग कर सकता है।

यह विशेष संकल्प बोर्ड को एक या एकाधिक श्रृंखला में उस कीमत अथवा कीमतों तथा ऐसे समय अथवा समयांतरों एवं ऐसे निवेशकों को, जैसा बोर्ड अपने विवेक से उचित समझे, उसके अनुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करने की शक्ति चाहता है। ईक्विटी शेयर्स के जारीकरण के विस्तृत नियम एवं शर्तें जब भी बनाए जाएंगे तब उन्हें बोर्ड द्वारा बाजार की प्रचलित स्थिति तथा अन्य संबद्ध घटकों पर ध्यान देते हुए बैंक के विचार से आवश्यक समझे जाने वाले मर्चेट बैंकर्स, लीड प्रबंधकों, सलाहकारों एवं ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श निर्धारित किया जाएगा।

अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट के माध्यम से उपरोक्तानुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

- ईक्विटी शेयर्स के कीमत निर्धारित के प्रयोजन से संगत तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों के अध्याय VIII और/अथवा लागू अन्य विनियमों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में सदस्यों के अनुमोदन की प्राप्ति एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत तत्पश्चात् आयोजित उस बैठक की तारीख होगी जिसमें बोर्ड अथवा पूंजी उगाही समिति इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का निर्णय लिया जाता है।
- चूंकि शेयर प्रस्ताव का कीमत निर्धारण बाद के चरणों से पूर्व नहीं किया जा सकता अतः जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत व्यक्त करना सम्भव नहीं है। तथापि, यह समय समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एण्ड मीटिंग्स) विनियम, 1998 अथवा अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमतियों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, जो लागू हों अथवा अपेक्षित हों।
- पूर्ण दत्त शेयरों का निर्गमन एवं आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के निहितार्थ में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को ही किया जाएगा और इनका आबंटन, उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 12 महीने के अन्दर किया जाएगा।
- प्रस्ताव के विस्तृत नियम एवं शर्तें बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्शकों, अग्रणी प्रबंधकों एवं हामीदारों और अन्य वांछित ऐसे प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर तय किए जाएंगे।
- प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार, अतिआबंटन, यदि कोई हो, को मिलाकर इस प्रकार जुटाई गई कुल राशि पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शित बैंक की निवल मालियत के 5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों द्वारा समय समय पर दी गई अनुमति के अलावा ये बिना प्रतिभूतियां इनके आबंटन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक अंतरण/विक्रय किए जाने के पात्र नहीं होंगी।
- आबंटित इक्विटी शेयर डिविडेंड सहित हर प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समकक्ष होंगे।

आपके निदेशकगण इस कार्य सूची के नोटिस में यथा-उल्लेखित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करते हैं।

बैंक के निदेशकगण को बैंक में उनकी वैयक्तिक क्षमता में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक इस संकल्प हेतु सम्बद्ध एवं इच्छुक माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: मुंबई

दिनांक: 23.05.2017

हस्त/-

(ए. के. दास)

सहायक महाप्रबंधक-एमवीडी/

कंपनी सचिव



कुल व्यवसाय											
(' करोड़ में)											
पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17
कुल व्यवसाय	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)
कुल जमा	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%
कुल ऋण एवं अग्रिम	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)
निवेश	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%
सीडी अनुपात	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)

लाभ प्रदता											
(' करोड़ में)											
पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17
सकल आय	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)
सकल व्यय	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)
परिचालन लाभ	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%
शुद्ध लाभ	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----
निम (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51
शुद्ध ब्याज आय	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)
गैर-ब्याज आय	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%



निदेशक रिपोर्ट 2016-17

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 449679 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2016 को ₹ 456336 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक की कुल जमा राशि ₹ 296671 करोड़ हो गयी जो मार्च 2016 में ₹ 266184 करोड़ थी। यह वर्ष-दर-वर्ष 11.45% की वृद्धि दर्शाता है।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक के कुल अग्रिम ₹ 153008 करोड़ रहा, जो मार्च 2016 में ₹ 190152 करोड़ था। यह कमी आईबीपीसी सहभागिता के माध्यम से ₹ 22991.22 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री की वजह से हुई।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल आय ₹ 27537 करोड़ हुई जबकि दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 27825 करोड़ थी।
- ❖ बैंक की गैर-ब्याज आय वर्ष-दर-वर्ष 48.38 % की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2017 को ₹ 2876 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को ₹ 1938 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ वर्ष-दर-वर्ष 16.92% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 3089 करोड़ हुआ, जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 2642 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही में शुद्ध हानि घटकर ₹ 592 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में ₹ 898 करोड़ थी। फिर भी दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक को ₹ 2439 करोड़ शुद्ध हानि हुई है।
- ❖ वर्ष के दौरान कर्मचारी व्यय ₹ 251 करोड़ की कमी के साथ ₹ 4214 करोड़ हुआ जो पिछले वर्ष ₹ 4465 करोड़ था।
- ❖ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-II के अंतर्गत) 11.28% था, जिसमें टीयर-I 7.16% था। पिछले वर्ष यह अनुपात 11.07 % था। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III के अंतर्गत) 10.95% था, जिसमें टीयर-I 8.62% था। पिछले वर्ष यह अनुपात 10.41% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक की शुद्ध मालियत ₹ 14735.84 करोड़ रही।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में नकद वसूली बढ़कर 2378 करोड़ हो गयी जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 1287 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आस्तियों का उन्नयन सुधारकर ₹ 1183 करोड़ हो गयी जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 608 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में सकल अग्रिमों में सकल एनपीए बढ़कर 17.81% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 11.95% था। यह वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार के लिए आईबीपीसी सहभागिता के माध्यम से ₹ 22991.22 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री की वजह से हुई।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए बढ़कर 10.20% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 7.36% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रोविजन कवरेज अनुपात बढ़कर 58.43% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 51.52% था।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2016-17 में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.51% रहा।



- ❖ वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹ 11.81 करोड़ रहा.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (0.80%) रहा.
- ❖ वर्ष 2016-17 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन ₹ 82771 करोड़ से बढ़कर ₹ 88085.80 करोड़ हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5314.80 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है. तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में आधिक्य का फायदा उठाते हुए बैंक ने ₹ 1065 करोड़ के पीएसएलसी तथा ₹ 8761.80 करोड़ आईबीपीसी का विक्रय किया. इस विक्री के बावजूद प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में ₹ 1621.40 करोड़ का आधिक्य रहा.
- ❖ बैंक का कृषि अग्रिम वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 36760 करोड़ से बढ़कर ₹ 37537 करोड़ हो गया जो वर्ष-दर-वर्ष 2.11% की वृद्धि दर्शाता है.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में एमएसएमई अग्रिम ₹ 30701 करोड़ हुआ जो कुल ऋण एवं अग्रिमों का 20.06% है.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रिटेल ऋण ₹ 32008 करोड़ हुआ जो कुल ऋण एवं अग्रिमों का 20.92% है.
- ❖ आवास ऋण पोर्टफोलियो ₹12510 करोड़ हुआ जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल रिटेल पोर्टफोलियो का 39.08% है.
- ❖ बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) में स्थापित किए हैं. वर्ष 2016-17 के दौरान, आरसेटी ने 1153 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 31961 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है. इनमें से 26511 (अर्थात 83%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते एवं स्व-वित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है.
- ❖ बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2017 तक 3 राज्यों के 47 जिलों में 1629 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं.
- ❖ बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम की जनसंख्या वाले 18,376 गांवों को कवर किया है. बैंक ने ये सभी गांव 6,387 बीसी एजेंट के माध्यम से कवर किए हैं. हमने 176 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र भी खोले हैं. बैंक ने बीसी एवं शाखाओं के माध्यम से 170.89 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते (बीएसबीडीए) खोले हैं. दिनांक 31 मार्च, 2017 को इन खातों में कुल जमा शेष ₹ 2070.14 करोड़ था.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2016-17 में, बैकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹17.07 करोड़ हुई.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को पूरे देश में बैंक के नेटवर्क में 4714 शाखाएं, 3677 अति-सूक्ष्म शाखाएं (यूएसबी), 5285 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2016-17 की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :

₹ करोड़ में

		31.03.2017	31.03.2016	विचलन	%
1	ब्याज आय	24661	25887	(1226)	(4.73)
	-अग्रिम	16283	18978	(2695)	(14.20)
	-निवेश	7372	6474	898	13.87
	-अन्य	1006	435	571	131.26
2	अन्य आय	2876	1938	938	48.40
3	कुल आय (1+2)	27537	27825	(288)	(1.03)
4	प्रदत्त ब्याज	18087	18822	(735)	(3.90)
	-जमाराशियां	17330	17653	(323)	(1.83)
	-अन्य	757	1169	(412)	(54.43)



		31.03.2017	31.03.2016	विचलन	%
5	परिचालन व्यय	6361	6361	0	0
	-स्थापना	4214	4465	(251)	(5.62)
	-अन्य	2147	1896	251	13.24
6	कुल व्यय (4+5)	24448	25183	(735)	(2.92)
7	स्प्रेड (1-4)	6574	7065	(491)	(6.95)
8	परिचालन लाभ (3-6)	3089	2642	447	16.91
9	प्रावधान - एनपीए/निवेश/अन्य	5528	4060	1468	36.15
10	कर के लिए प्रावधान	(1090)	(1251)	161	(12.87)
11	शुद्ध लाभ	(2439)	(1418)	(1021)	(72.00)

3. प्रावधान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹ 5528 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017	31.03.2016	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(164)	470	(634)
एनपीए के लिए प्रावधान	6216	4913	1303
पुनर्संरचित खातों के लिए प्रावधान	321	(1235)	1556
निवेश के लिए प्रावधान	300	851	(551)
करों के लिए प्रावधान	(1090)	(1251)	161
अन्य	(55)	312	(367)
कुल	5528	4060	1468

4. लाभप्रदता अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2017	31.03.2016
जमाओं की लागत	6.20	6.86
निधियों की लागत	6.27	6.95
अग्रिमों पर आय	9.01	10.09
निवेशों पर आय	7.38	7.46
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.51	2.78
लागत आय अनुपात	67.31	70.65

5. व्यावसायिक अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2017	31.03.2016
ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	8.10	8.85
गैर-ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.94	0.66
परिचालन लाभ एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	1.01	0.90
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	(0.80)	(0.48)
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	11.81	11.95
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(6.49)	(3.76)



6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार हैं :

	31.03.2017		31.03.2016	
	बासल-II	बासल-III	बासल-II	बासल-III
टियर-I	7.16	8.62	7.44	8.20
टियर-II	4.12	2.33	3.63	2.21
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.28	10.95	11.07	10.41

7. शुद्ध हानि

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 2439 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है।

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- ❖ श्री एस.बी. रोडे अधिकारी कर्मचारी निदेशक, दिनांक 01.04.2016 को कार्य समय की समाप्ति पर अपना निर्धारित कार्यकाल पूर्ण कर कार्य निवृत्त हुए।
- ❖ श्री एन. नित्यानंद को दिनांक 21 जून, 2016 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।
- ❖ श्री गुरबख्श कुमार जोशी, कर्मकार कर्मचारी निदेशक, दिनांक 09.07.2016 को कार्य समय की समाप्ति पर अपना निर्धारित कार्यकाल पूर्ण कर कार्य निवृत्त हुए।
- ❖ श्रीमती एन. एस. रत्नप्रभा, अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक दिनांक 18.12.2016 को कार्य समय की समाप्ति पर अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्य निवृत्त हुईं।
- ❖ श्री आर. के. गोयल, दिनांक 31.12.2016 को बैंक कार्य समय की समाप्ति पर अधिवर्षिता प्राप्त कर बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए।
- ❖ श्री पी. रमण मूर्ती को दिनांक 17.02.2017 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।
- ❖ श्री आर. सी. लोढ़ा, दिनांक 28.02.2017 को बैंक कार्य समय की समाप्ति पर अधिवर्षिता प्राप्त कर बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए श्री एस.बी. रोडे, श्री गुरबख्श कुमार जोशी, श्रीमती एन. एस. रत्नप्रभा, श्री आर. के. गोयल एवं श्री आर. सी. लोढ़ा द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है।

9. पर्दाफाश नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक का सेंट विजिल नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ मुख्य सतर्कता अधिकारी को ही ज्ञात होती है। निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलती है।



10. व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है जो बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर उपलब्ध है। इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति बैंक के प्रधान कार्यलय में कम्पनी सचिव को लिख कर इसे प्राप्त कर सकता है।

11. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय;

- ❖ महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- ❖ समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- ❖ भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- ❖ लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं।
- ❖ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे।
- ❖ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से कार्यरत हैं।

12. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है।

13. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23 मई, 2017

राजीव ऋषि

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण

भाग ए: आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2016 के दौरान वैश्विक प्रगति की दर में रही मंदी के पश्चात वर्ष 2017 में इसमें तेजी आने की उम्मीद है. भावनात्मक पहलुओं के बढ़ने से यूएस की आर्थिक प्रगति में सुधार के आसार हैं. बेरोजगारी में कमी एवं मुद्रा स्फीति के बढ़ने से विदेशी विनिमय दरों में वृद्धि हुई है. नई सरकार द्वारा अनुमानित वित्तीय प्रोत्साहनों से विकास की सम्भावनाओं को और अधिक बल मिलेगा. डॉलर में मजबूती, बढ़ते हुए संरक्षणवाद इत्यादि के कारण यू.एस. में काफी हद तक विकास बाधित हुआ है. यूरोजोन सतत मौद्रिक प्रोत्साहन के चलते संतुलित विकास पथ पर कायम रहा है. इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएं ब्रेकिंग समझौते के परिणामों पर भी निर्भर होंगी. वृद्धिशील उत्पादन एवं निर्यात, जापानी अर्थव्यवस्था के लिए काफी मददगार रहे हैं. चीन ने पिछले वर्ष अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलित करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था की मंदी से बचने के लिए घरेलू उपभोग संवर्द्धित विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है. वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के कारण कुछ वस्तु निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं को अवश्य राहत मिलेगी.

भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी के अल्पकालिक प्रभाव से उबर रही है. नोटबंदी के कारण बैंकिंग सिस्टम में भारी मात्रा में एकत्र हुई जमा राशियों से ऋणों की वृद्धि में सहायता मिलेगी. इसके साथ ही वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में घोषित अनुकूल उपायों से इस वृद्धि में और भी उछाल आएगा. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से भी आर्थिक प्रगति में मदद मिलेगी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ष 2017-18 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.2 % रहने के पूर्वानुमान पर अभी भी कायम है. भारतीय अर्थव्यवस्था की पूर्व में अनुमानित वृद्धि दर भी 6.6% से बढ़कर 6.8% होने का अनुमान है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुद्रा स्फीति कम होकर 4.5% रह गयी है जो कि वर्ष 2015-16 में 4.9% थी. इस दौरान शक्कर एवं दलहनों की कीमतें उच्च स्तर पर बनी रही. वस्तुओं की बढ़ती हुई वैश्विक कीमतों एवं मौद्रिक अस्थिरता से मुद्रास्फीति का खतरा और भी बढ़ गया है.

दीर्घकालीन मंदी के बाद निर्यात में अनुकूल सुधार हुआ. आयात में वृद्धि तेल के आयात के बढ़ते हुए बिल के कारण हुई है. वर्ष 2016-17 में चालू खाते में घाटे का अनुपात जीडीपी का लगभग 1% रहने का अनुमान है. अप्रैल से दिसम्बर 2016-17 के दौरान संचयी आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रगति की दर दो अंकों में रही है. हाल ही में, पोर्टफोलियो निवेश में भी सकारात्मक रुख देखने को मिला है.

स्थिर सरकार, नीतिगत पहलों, सुधारात्मक उपायों एवं जनसांख्यिकीय अनुकूलता के कारण मध्यावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहना संभावित है.

बदलता बैंकिंग परिदृश्य

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कठिन दौर अभी भी जारी है. बैंकिंग उद्योग को मुख्य चुनौती निरंतर बढ़ती अनर्जक आस्तियों से है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भुगतान बैंक तथा निजी एवं विदेशी बैंकों जैसी अन्य संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना होगा. नोटबंदी के कारण बैंकिंग उद्योग में जमा राशियां बढ़ने से नकद आधारित उद्योग प्रभावित हुए हैं. कॉर्पोरेट तुलन-पत्रों में दबाव के चलते ऋणों में वृद्धि भी मंद रही है. भारतीय रिजर्व बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की विशिष्टताओं में संशोधन किया है तथा बैंकों पर निगरानी रखने के लिए आस्ति गुणवत्ता एवं लाभप्रदता पर जोर देने के साथ साथ तीनों जोखिमों की प्रारम्भिक सीमा को भी परिभाषित किया है. वसूली प्रक्रिया की गति को बढ़ाने में दिवालियापन सुधार कानून 2016 एक स्वागतयोग्य कदम है.

भाग बी - बैंक का कार्यनिष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 449679 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष के ₹ 456336 करोड़ में (1.46) प्रतिशत की कमी दर्शाता है. उच्च लागत + सीओडी में ₹ 1452 करोड़ की कमी तथा ₹ 2617 करोड़ के डिस्कॉम अग्रिमों को बांड में परिवर्तित करने तथा ₹ 22991 करोड़ की ऋण आस्तियों (आईबीपीसी) की बिक्री के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान व्यवसाय में ₹ 27060 करोड़ की कमी हुई है, अन्यथा मार्च 2016 पर व्यवसाय वृद्धि दर 4.47% होती.

परिचालन लाभ पिछले वर्ष ₹ 2642 करोड़ की तुलना में ₹ 3089 करोड़ रहा जो कि 16.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. बैंक ने वर्ष 2016-17 में प्रावधानों में वृद्धि के कारण ₹ 2439 करोड़ की शुद्ध हानि दर्शायी है जो पिछले वर्ष ₹ 1418 करोड़ थी.



संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च 2017 को कुल जमा राशि ₹ 296671 करोड़ थी. उच्च लागत की जमा + सीओडी की कुल राशि ₹ 1452 करोड़ को घटाकर देखा जाय तो जमा राशियों में पिछले वर्ष की जमा पर 11.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अन्यथा यह 12% होती. बचत बैंक जमा, वर्ष 2016-17 में 25.00% की वृद्धि के साथ ₹ 103102 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹ 82485 करोड़ थी. चालू जमा राशि वर्ष 2015-16 के ₹ 11970 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 13207 करोड़ हो गयी. कुल जमा में कासा का प्रतिशत जो पिछले वर्ष 35.48% था वह इस वर्ष बढ़कर 39.20 % हो गया है. कुल सकल जमा राशियां वर्ष दर वर्ष 11.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2016-17 में बढ़कर ₹ 290972 करोड़ हो गयी जो वर्ष 2015-16 में ₹ 260101 करोड़ थी. जबकि कोर मियादी जमा 2015-16 के ₹ 156921 करोड़ पर 7.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2016-17 में ₹ 169384 करोड़ के स्तर तक पहुंच गयी.

बैंक में भारतीय लेखांकन मानक का क्रियान्वयन एवं कार्य-योजना

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ एवं तत्पश्चात लेखांकन अवधि के लिए बैंकों में भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एस) के क्रियान्वयन संबंधी रूपरेखा प्रस्तुत की है. बैंक ने एक इंड-एस सलाहकार को सेवाओं के लिए नियुक्त किया है, एक कोर इंड-एस टीम का गठन कर क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया है. इसकी प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में संचालन समिति बनाई गयी है. बैंक का निदेशक मंडल तथा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति इंड-एस क्रियान्वयन की प्रगति की आवधिक समीक्षा करते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने 30 सितम्बर, 2016 को समाप्त छमाही के लिए प्रोफार्मा वित्तीय विवरणी दिनांक 30.11.2016 को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है.

ऋण

मार्च 2017 में बैंक का सकल ऋण ₹ 153008 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष मार्च, 2016 में ₹ 190152 करोड़ था. यह कमी आईबीपीसी सहभागिता के माध्यम से ₹ 22991.22 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री के कारण हुई है.

ऋण निगरानी विभाग

बैंक ने सुपरिभाषित निगरानी नीति शुरू की है, जिसमें एसएमए (विशेष उल्लिखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, इसमें एसएमए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, त्वरित चेतावनी संकेतक, निगरानी एवं अनुवर्ती उपाय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को समाहित किया गया है.

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण अथवा इतर तुलन-पत्र जोखिम के तुल्य ऋण, में से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाना है. अतः इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बैंक के लिए अत्यंत महत्व का क्षेत्र है. हमने कृषि, एमएसएमई, आवास, शैक्षिक एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य प्रमुख घटकों में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है. इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत हमारी प्रगति प्रभावपूर्ण रही है.

वर्ष 2016-17 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन बढ़कर ₹ 88085.80 करोड़ हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5314.80 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है. तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में आधिक्य का फायदा उठाते हुए बैंक ने ₹ 1065 करोड़ के पीएसएलसी तथा ₹ 8761.80 करोड़ आईबीपीसी का विक्रय किया. इस बिक्री के बावजूद प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में ₹ 1621.40 करोड़ का आधिक्य रहा.

रिटेल ऋण

दिनांक 31.03.2017 को रिटेल ऋण योजनाओं में कुल बकाया राशियां ₹ 32008 करोड़ हो गयी बैंक के कुल अग्रिम में रिटेल पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 20% से अधिक है.

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- ❖ बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 91 प्राधिकृत डीलर ('बी' श्रेणी) शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है. परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है ताकि कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके.
- ❖ दिनांक 31.03.2017 को बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो ₹ 5452 करोड़ हो गया जो दिनांक 31.03.2016 को ₹ 5628 करोड़ था.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2016-17 में मर्चेन्ट ट्रेड विदेशी विनिमय का टर्नओवर ₹ 38269 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 44027 करोड़ था.
- ❖ एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.2016 के ₹ 3819 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2017 को ₹ 4457 करोड़ हो गया, जो गत वर्ष पर 17% की वृद्धि दर्शाता है.



- ❖ एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2016 को यूएसडी 204.21 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31.03.2017 को यूएसडी 217.86 मिलियन हो गई, जो पिछले वर्ष पर 6.27% की वृद्धि दर्शाता है।

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

- ❖ बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च 2017 को बढ़कर ₹ 93792 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को ₹ 89895 करोड़ था। इस प्रकार पिछले वर्ष के आधार पर इसमें 4.28% की वृद्धि दर्ज की गई है। दसवर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2016 के 7.42% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2017 को 6.66% पर बंद हुआ है।
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2016-17 में रेपोरेट में 0.5% (अप्रैल, 2016 में 0.25% और अक्टूबर, 2016 में 0.25%) की कमी कर इसे 6.25% कर दिया है और अप्रैल 2016 में पॉलिसी रेट कॉरीडोर को संकुचित कर 1% से 0.5% कर दिया है। इससे बैंक रेट घटकर 6.75% हो गयी है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबन्धन प्रणाली/संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब सुस्थापित जोखिम प्रबन्धन प्रणाली मौजूद है। ऋण, बाजार, तथा परिचालन जोखिमों एवं पिलर II जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबन्धन नीतियों/प्रथाओं का निदेशक मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है। उत्पादों की कीमत निर्धारण तथा बाजार की घटनाओं से संबंधित जोखिम मॉडल के निर्धारण संबंधी नीतियों की समीक्षा के साथ समिति नए जोखिमों की पहचान व उनका नियंत्रण भी करती है। कॉरपोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम पैरामीटरों के अनुपालन पर भी समिति द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है।

वसूली विभाग

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों से युक्त एक सुपरिभाषित वसूली नीति मौजूद है। इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की नियुक्ति, एआरबी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्ता तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली शामिल है। अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तनों/गतिविधियों एवं एनपीए निपटान/प्रबंधन की प्रवृत्तियों इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, यद्यपि, बैंक ने ₹ 2378 करोड़ की नकद वसूली, ₹ 1183 करोड़ का अपग्रेडेशन, कुल मिलाकर ₹ 3561 करोड़ का सुधार किया है परंतु उच्च राशियों के नए खातों (₹ 50.00 करोड़ एवं अधिक के 40 खाते कुल राशि ₹ 6116 करोड़) के जुड़ जाने से कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

दिसम्बर 2010 में बैंक ने अपनी 100% शाखाओं को केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में कवर कर लिया है। बैंक ने नवीनतम प्रौद्योगिकी बुनियादी संरचना स्थापित की है एवं ग्राहकों को परिचालनात्मक कार्यकुशलता एवं त्वरित सेवाएं देने को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है। विद्यमान कम्प्यूटिंग संसाधनों जैसे हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा एवं अन्य संबंधित आवश्यकताओं के अपडेशन / संवर्धन भविष्य के व्यावसायिक पुर्वानुमान एवं अन्य सांविधिक एवं सुरक्षा बाध्यताओं को अनुसार किया जाता है। बैंक ने आपदा रिकवरी केंद्र स्थापित किया है एवं बैंक की नीति के तहत विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित आपदा रिकवरी अभ्यास किया जाता है। ग्राहकों के हितों एवं बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार की नीतियां एवं प्रक्रियाओं की शुरुआत की गयी है। बैंक ने शून्य डाटा हानि के साथ व्यावसायिक सातत्य सुनिश्चित करने के लिए नीयर साइट कार्यान्वित किया है। आवश्यकतानुसार निरंतर कई नई कार्यमूलकताओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक की शाखाएं आंतरिक लेखापरीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन है और सम्मिश्र जोखिम ढांचे के अनुसार प्रत्येक शाखा को जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2017 को 3661 शाखाएं आरबीआईए के अधीन थीं एवं शाखाओं को श्रेणीगत किया गया था। इसके अनुसार 2330 शाखाएं मध्यम जोखिम रेटिंग, 2315 शाखाएं निम्न जोखिम रेटिंग एवं 51 शाखाएं उच्च जोखिम रेटिंग में वर्गीकृत हैं। बैंक की कोई भी शाखा बहुत अधिक जोखिम रेटिंग एवं अत्यधिक जोखिम रेटिंग के अंतर्गत नहीं हैं।

शाखा विस्तार

दिनांक 31 मार्च 2017 को, बैंक के नेटवर्क में कुल 4714 शाखाएं हैं, 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएं, 5285 एटीएम, 10 सेट्टेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं। देश के सभी 29 राज्यों, 6 में से 5 केन्द्र शासित प्रदेशों एवं एनसीटी दिल्ली, 574 जिला मुख्यालयों तथा देश के 707 जिलों में से 626 जिलों में उपस्थिति के साथ बैंक का देशव्यापी विस्तार है।



परिचालन

- ❖ **नोटबंदी** - बैंक ने ग्राहकों/आम नागरिकों से एसबीएन नोट प्राप्त करने/बदलने तथा छोटे मूल्य के नोट/नए करेंसी नोट जारी करने का काम का प्रबंधन कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया।
- ❖ **बीसीएसबीआई रेटिंग-** ग्राहक सेवा संहिता के श्रेष्ठ अनुपालन के लिए बीसीएसबीआई ने हमारे बैंक को “औसत से श्रेष्ठ” श्रेणी प्रदान की है।
- ❖ **शिकायतों का निपटान** - विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्राप्त शिकायतों का निपटान मुस्तैदी से किया जाता है। स्टाफ के दुर्व्यवहार संबंधी शिकायतों की जांच अन्य बैंकों के सेवानिवृत्त महाप्रबंधकों द्वारा कराई जाती है एवं दोषी स्टाफ सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन

हमारे उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर एवं अन्य मास कम्यूनिकेशन के माध्यमों से जागरूकता जागृत करने के लिए, गो ग्रीन उपायों को स्वीकार करते समय अपनी ब्रांड छवि को बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए तथा स्टाफ सदस्यों के सक्रिय सहयोग से अपने बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए निम्न लागत विज्ञापनों को महत्व देते हुए निरंतर प्रयास करते रहने के हमारे प्रयास इस वर्ष भी जारी रहेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर विजिविलिटी बढ़ाने के लिए, फील्ड स्तर पर स्थानीय खेल स्पर्धाओं/यात्राओं/आयोजनों/किसान कैम्पों/सम्मेलनों के प्रायोजन के अतिरिक्त, विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियों जैसे ट्रैफिक बेरिकेडस्, नो पार्किंग बोर्डों, पुलिस चौकियों, यूटिलिटी किऑस्क, दीवार पेंटिंग, ऑटो-रिक्शा, बस एवं ट्रेन में ब्रेडिंग की गई। इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लोकल केबल, एफएम रेडियो, मोबाइल एप, यूएफओ मूवीज़, पीवीआर सिनेमा का भी उपयोग किया गया।

सतर्कता

सतर्कता विभाग के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने एवं परिचालनात्मक कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ई-विजिलेंस पोर्टल की शुरुआत की गयी है। इससे रीयल टाइम आधार पर डीआई मामलों एवं शिकायतों के संचलन पर नजर रखने में मदद मिलेगी। विजिलेंस मामलों के निपटान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस वर्ष बैंक के सभी शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों ने “सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम, नैतिकता सुधार” हेतु जन सहभागिता एवं भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कार्यक्रमों के प्रचार में सक्रिय सहभागिता की। देश भर में विभिन्न विद्यालयों/विश्वविद्यालयों तथा ग्राम पंचायतों में 180 कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

मानव संसाधन विकास

1. मानव शक्ति :

मार्च 2017 के अंत में बैंक में स्टाफ सदस्यों की संख्या 37044 थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 37685 थी। स्टाफ सदस्यों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	मार्च, 2017	मार्च, 2016
अधिकारी वर्ग	16,247	16,115
लिपिक वर्ग	13,001	13,103
अधीनस्थ वर्ग	7,796	8,467
कुल संख्या	37,044	37,685

अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम

ए. सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

- ❖ मार्च, 2017 को स्वामित्व निधि ₹ 88.35 करोड़ थी।
- ❖ वर्ष के दौरान, कंपनी के कुल अग्रिम मार्च, 2016 के ₹ 1110.21 करोड़ से बढ़कर, 19.13% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2017 को ₹ 1322.62 करोड़ हो गया है। आवास ऋण, मार्च, 2016 के ₹ 886.06 करोड़ से बढ़कर, मार्च, 2017 को ₹ 1085.53 करोड़ हो गए, इसमें 22.51% की वृद्धि दर्ज हुई है।



ए. सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

- ❖ सेन्ट्रल बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड, डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चेरीटेबल ट्रस्ट इत्यादि सहित अनिवार्यतः न्यासधारिता सेवाएं उपलब्ध करा रही है।
- ❖ कंपनी, डिबेंचर न्यास गतिविधियों के अधिग्रहण के लिए सेबी के साथ पंजीकृत है।

वित्तीय अद्यतन :

- ❖ कंपनी ने मार्च 2017 में ₹ 2.77 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो गत वर्ष ₹ 2.00 करोड़ था।
- ❖ खंडवार अर्जन :

(राशि ₹ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16
निष्पादक न्यास से शुल्क	36,97,765	40,97,743
डिबेंचर एवं सुरक्षा न्यास से शुल्क	2,69,31,110	2,56,73,602
अन्य आय (ब्याज)	3,02,88,904	3,23,,96,472
कुल	6,09,17,779	6,21,67,817

iii. इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड

- ❖ जाम्बिया सरकार तथा भारत के तीन बैंकों अर्थात् सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है। इसमें इन तीनों भारतीय बैंकों में से प्रत्येक की 20% इक्विटी है, जबकि शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार की है।
- ❖ बैंक का वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष है।
- ❖ बैंक सभी पैरामीटरों में बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शा रहा है और वर्तमान में जाम्बिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है।
- ❖ दिसम्बर 2016 के अंत तक हमारे बैंक के पास कुल 1 क्वाचा प्रति शेयर के 8,32,00,000 शेयर है।
- ❖ कैलेंडर वर्ष 2016 में बैंक ने क्वाचा 83.61 एमआईओ (₹ 55.74 करोड़) का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।
- ❖ वर्ष के दौरान बैंक ने वर्ष 2016 के लिए लाभांश की घोषणा की है। तदनुसार, हमारे बैंक ने दिनांक 15.03.2017 को यूएस डॉलर 616,748/- के समतुल्य ₹ 4,79,90,324/- का लाभांश प्राप्त किया है।

iv. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को हमारे 3 आरआरबी हैं, जिनका 3 राज्यों के 47 जिलों में 1629 शाखाओं का नेटवर्क है।

पुरस्कार एवं सम्मान

- ❖ वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक को “भारतीय रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना” के अंतर्गत तीनों भाषिक क्षेत्रों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
- ❖ भारत के राष्ट्रपति द्वारा बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- ❖ मुंबई में भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए सुप्रसिद्ध संस्थान आशीर्वाद द्वारा बैंक को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया।



कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- ❖ बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचालन में नैतिक संव्यवहार से श्रेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है। बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं श्रेयरधारकों के श्रेयर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं।
- ❖ बैंक के इक्विटी श्रेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है। हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। अतः बैंक सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों को उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 एवं भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों, निदेश इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा।
- ❖ इक्रा लिमिटेड ने हमारे बैंक को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के लिए ‘‘सीजीआर 3 +(सीजीआर 3 प्लस उच्चारित) रेटिंग की पुनः अभिपुष्टि की है। इस रेटिंग से यह प्रकट होता है कि इक्रा की वर्तमान राय यह है कि बैंक ने इस तरह की प्रथाएं, परम्परा एवं संहिता को अपनाया और उनका अनुपालन किया है, जिससे वह अपने वित्तीय स्टेकधारकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उच्चस्तरीय गुणवत्ता से आश्चर्य कर सके।

निदेशक मंडल

- ❖ बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है। सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती
- ❖ बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है।
- ❖ समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2016-17 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था।

क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2017 को बैंक के धारित इक्विटी श्रेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2017 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2016 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री राजीव ऋषि.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.08.2013 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, सीआई डब्ल्यूडी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, सीआई डब्ल्यूडी	-इन्डो ज़ाम्बिया बैंक लि. -इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि. -भारतीय बैंक संघ -राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी -एक्विजि बैंक -एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोर्पोरेशन	जी हाँ
2.	श्री आर.के.गोयल	कार्यपालक निदेशक	11.01.2013 से 31.12.2016 तक	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि.	जी हाँ



क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2017 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड सभिति की सदस्यता/अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2017 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2016 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
3.	श्री बी.के. दिवाकर.	कार्यपालक निदेशक	23.01.2014 सेनिरंक	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेंट्र बैंक होम फाइनेंस लि. - सेंट्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसज लि.	जी हाँ
4.	श्री आर.सी. लोढ़ा	कार्यपालक निदेशक	11.03.2015 से 28.02.2017 तक	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेंट्र बैंक होम फाइनेंस लि.	जी हाँ
5.	श्री पी. रमण मूर्ती	कार्यपालक निदेशक	17.02.2017 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
6.	डॉ. सौरभ गर्ग	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	19.02.2014 से	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, वीआईजी, एमआरसी, एचआर, नामांकन	आरसी नामांकन	निरंक	जी नहीं
7.	श्री शेखर भटनागर	भारि बैं द्वारा मनोनीत निदेशक	13.03.2014 से	निरंक	बैंकिंग एवं वित्त	एमसीबी, एसीबी, आरसी, वीआईजीनिरंक	निरंक	निरंक	जी नहीं
8.	श्री एस.बी. रोडे	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	02.04.2013 से 01.04.2016 तक	133	बैंकर	एमसीबी, आरएमसी, एचआर	निरंक	निरंक	जी हाँ
9.	श्री गुलबक्खा कुमार जोशी	कर्मकार कर्मचारी निदेशक	10.07.2013 से 09.07.2016 तक	निरंक	बैंकर	एमसीबी, सीएससी, आईटीएस, आरएमसी, एलवीएफसी नामांकन, एचआर	निरंक	निरंक	जी नहीं



क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2017 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2017 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2016 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
10.	श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	19.12.2013 से 18.12.2016 तक	निरंक	समाज सेवा	एसोबी, आरएमसी, एसआरसी, सीएससी, आरसी, सीआईडब्ल्यूडी, एलवीएफसी, एमसी, नामांकन	एसआरसी	निरंक	जी हाँ
11.	श्री एस. बंदोपाध्याय	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.15 से	100	प्रशासन	एसीबी आरएमसी आईटीसी एसआरसी, सीएससी, एमआरसी, एचआर	एससीआ, आईटी, एसीबी	एलआईसी पेंशन फंड	जी नहीं
12.	श्री के.आर पटेल	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.2015 से	163	व्यावसायिक	एमसीबी एलवीएफसी आईटीसी एसआरसी सीआईडब्ल्यूडी आरएमसी एमआरसी सीएससी	निरंक	निरंक	जी नहीं
13.	श्री एन नित्यानंद	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	21.06.2016 सेनिरंक	निरंक	सनदी लेखाकार	एसोबी, आरएमसी, एलवीएफसी एसआरसी सीएससी नामांकन	निरंक	निरंक	जी नहीं

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं.

एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंधन समिति
एसीबी	-	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
आरएमसी	-	जोखिम प्रबंधन समिति
एलवीएफसी	-	उच्च मूल्य की धोखाधड़ी संबंधी समिति
सीएससी	-	ग्राहक सेवा समिति
आईटीएस	-	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
एसआरसी	-	स्टेकहोल्डर सम्बंध समिति
आरसी	-	पारिश्रमिक समिति
वीआईजी	-	सतर्कता समिति
सीएसी	-	ऋण अनुमोदन समिति
एचआर	-	मानव संसाधन समिति
एमआरसी	-	वसूली समिति की निगरानी
सीआरसी	-	पूँजी उगाही समिति
सीआईडब्ल्यूडी	-	इरादतन चूककर्ता की पहचान की समीक्षा के लिए बोर्ड की समिति
नामांकन	-	नामांकन समिति

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडक की 17 बैठकें हुईं.



निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियां, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2017 को इस समिति में 8 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक एवं 3 अन्य निदेशक, जिनमें 1 शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक, कर्मकार कर्मचारी निदेशक तथा 1 अधिकारी कर्मचारी निदेशक शामिल हैं। अंशकालीन/कर्मकार निदेशकों का प्रत्येक छः माह में आवर्तन किया जाता है। तथापि, दिनांक 31.03.2017 को 1 कार्यपालक निदेशक, 1 कर्मकार कर्मचारी निदेशक एवं 1 अधिकारी कर्मचारी निदेशक का पद रिक्त है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति की 14 बैठकें आयोजित की गईं।

ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 को निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। ₹ 400 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव, ₹10 करोड़ तक के समझौता/बट्टे खाते, ₹15 लाख तक के प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र), ₹ 25 लाख तक के प्रतिवर्ष (अर्धशहरी क्षेत्र), ₹50 लाख तक के प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) एवं ₹1 करोड़ तक के प्रतिवर्ष (मेट्रो क्षेत्र) के परिसर प्रस्ताव संबंधी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करती है। वर्तमान समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं प्रभारी महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन, ऋण, ऋण निगरानी एवं वसूली शामिल हैं। वर्ष के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 21 बैठकें आयोजित की गईं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल होंगे। स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे। वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 12 बैठकें आयोजित की गईं।

जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं. डीबीओडी नं. डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा दिनांक 25.11.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/09/2002-03/3.9 के अनुसार बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबै द्वारा नामित निदेशक एवं तीन गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है। वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

पारिश्रमिक समिति एवं निदेशकों को पारिश्रमिक

- ❖ पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं.20.1.2005-बीओ-1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया। इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है।
- ❖ गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों / गैर कार्यपालक निदेशकों को मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹ 20,000/- बैठक फीस एवं बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 10,000/- बैठक फीस का भुगतान किया जाता था। जो कि सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के अलावा है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है।



- ❖ वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों के रूप में कुल निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

क्र.सं	नाम	₹ लाख में
1.	श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक	28.70
2.	श्री राज कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	38.94
3.	श्री बी. के. दिवाकर, कार्यपालक निदेशक	23.11
4.	श्री आर. सी. लोढ़ा, कार्यपालक निदेशक	39.54
5.	श्री पी. आर. मूर्ती, कार्यपालक निदेशक	2.58

- ❖ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 14,50,000/- (रुपये चौदह लाख पचास हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया.

नामांकन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के साथ पठित डीबीओडी नं. बीसीनं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के शर्तों के अनुसार, बोर्ड की पात्रता अर्थात् (i) शैक्षिक योग्यता, (ii) अनुभव एवं विशेषज्ञता का क्षेत्र एवं (गग) ट्रेक रिकॉर्ड और ईमानदारी, के आधार पर अधिनियम (अर्थात् शेयरधारक निदेशक) की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत वर्तमान निर्वाचित निदेशक(को)/ऐसे व्यक्ति जो निदेशक नियुक्त होने वाले हैं, की 'फिट एवं प्रोपर' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए बैंक की नामांकन समिति का गठन किया गया है.

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, शेयर धारक निदेशक - श्री एस. बंछोपाध्याय एवं श्री केतुल आर. पटेल के फिट एवं प्रोपर मानदंडों को निर्धारित करने के लिए दिनांक 16.07.2016 को नामांकन समिति की बैठक आयोजित की गई थी एवं समिति के अनुसार श्री एस. बंछोपाध्याय एवं श्री केतुल आर. पटेल फिट एवं प्रोपर स्थिति में हैं, जो तीन वर्ष अर्थात् 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत शेयर धारक निदेशकों के रूप में निर्वाचित किए गए हैं.

शेयरधारकों की संबंध समिति

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित शेयर बाजार के सूचीकरण करार के अनुपालन में, स्टेकधारकों की संबंध समिति का गठन विशेष तौर पर शेयर धारकों, लाभांश धारकों एवं अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों सहित शेयर्स के अंतरण संबंधित, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण की प्रणाली को देखने के लिये किया गया है. वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यतः निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की अध्यक्ष थी. दिनांक 18.12.2016 को उनकी अवधि की समाप्ति के पश्चात् श्री एस. बंछोपाध्याय इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे अंशकालीन गैर सरकारी निदेशकों का आवर्तन प्रत्येक वर्ष किया जाता है वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई.

वर्ष 2016-17 (दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक) के दौरान निवेशक शिकायत का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेयर प्रमाणपत्र/अप्राप्त शेयर के पत्र	6
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	169
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट/ईजीएम सूचना	61
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	8
6	धनवापसी लिखत में सुधार	0
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	2



8	प्राप्त कुल शिकायतें	246
9	निपटाई/ध्यान दी गई कुल शिकायतें	246
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है।

अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव, निर्गम बैंकर, मर्चेन्ट बैंकिंग एवं डिबेंचर ट्रस्टीशिप के अनुपालन अधिकारी के अलावा वे बैंक द्वारा जारी एवं स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों तथा अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण, बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां.

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को दिनांक 8 सितम्बर, 2016 को अधिमानी आधार पर 12,38,06,796 इक्विटी शेयर्स का आबंटन करते हुए ₹1297 करोड़ (प्रीमियम सहित) की राशि जुटाई है। इसके अतिरिक्त बैंक ने दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 को अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 1,71,44,954 इक्विटी शेयर जारी एवं आबंटित कर ₹ 156.79 करोड़ के इक्विटी पूंजी की उगाही भी की है।

भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य की 5830 नवोन्मेषी स्थायी कर्ज लिखत के उन्मूलन के द्वारा बैंक ने ₹ 583.00 करोड़ की इक्विटी पूंजी की उगाही की है एवं शेयर आवेदन राशि खाते में रखी है, शेयरों का आबंटन लम्बित है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2017 को बैंक ने भारत सरकार से ₹ 100.00 करोड़ की पूंजी निधि भी प्राप्त की है एवं इसे नये खोले गए खाते नाम - 'सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर आवेदन राशि खाते' शेयरों का आबंटन लंबित में रखा गया है।

दिनांक 7 मार्च, 2017 को बैंक ने बासल III के अनुपालित टियर II बॉन्ड जारी कर ₹ 500.00 करोड़ की भी उगाही की है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूत करने एवं बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए, ये निधियां टियर I एवं टियर II को प्राथमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए उगाही की है।

संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 10वीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक : शुक्रवार, दिनांक 30 जून, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चंद्रमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई -400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का 9वां माला।

1. यह साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित है।
2. बही-बंदी की तारीख : दिनांक 27 जून, 2017 से 30 जून, 2017 (दोनों दिवस सहित)
3. वर्ष 2016-17 के लिए कोई लाभांश की अनुशांसा नहीं की गई है।



साधारण बैठक:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित साधारण बैठकों का विवरण

क्र. सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	नवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2016, पूर्वाह्न 11.00 बजे	9वां माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
2.	आठवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2015, पूर्वाह्न 11.00 बजे	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056
3.	सातवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2014, पूर्वाह्न 11.00 बजे	-----तदैव-----

स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण :

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी किए हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:

दिनांक 31.03.2017 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बॉण्ड्स-टियर-II पूंजी की स्थिति

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II- सीरीज XII	03.03.2008	389.10	आईएनई483A09161
लोअर टियर II- सीरीज XIII	10.02.2009	270.00	आईएनई483A09187
लोअर टियर II- सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	आईएनई483A09245
अपर टियर II- सीरीज I	14.11.2008	300.00	आईएनई483A09179
अपर टियर II- सीरीज II	17.02.2009	285.00	आईएनई483A09195
अपर टियर II- सीरीजIII	23.06.2009	500.00	आईएनई483A09203
अपर टियर II- सीरीजIV	20.01.2010	500.00	आईएनई483A09211
अपर टियर II- सीरीज V	11.06.2010	1000.00	आईएनई483A09229
अपर टियर II- सीरीजVI	21.01.2011	300.00	आईएनई483A08015
बासल III अनुपालित क्र. I	08.11.2013	1000.00	आईएनई483A09260
बासल III अनुपालित क्र. II	07.03.2017	500.00	आईएनई483A09278
कुल		5544.10	

ये सभी बॉण्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2017-18 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है. इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

**लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

सी-101, 247 पार्क

एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)

मुंबई-400 083

टेली.: 022-49186000

फैक्स: 022-49186060

ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता:

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

9वीं मंजिल, चंद्रमुखी

नरीमन पॉइंट

मुंबई-400 021

संपर्क नं. 022- 6638 7818

फैक्स : 022- 2283 5198

ई-मेलआईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

शेयर्स का डिमेटरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डिमेटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्क्यूरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

दिनांक 31.03.2017 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण निम्नानुसार हैं:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	114	135640	0.01
एनएसडीएल	88403	329322715	17.31
सीडीएसएलड	50815	1572712609	82.68
कुल	139332	1902170964	100.00

केन्द्र सरकार द्वारा डीमेट रूप से धारित 1546139179 (81.28%) सहित.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है.

अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2017 को “अदावाकृत उचंत खाता” में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	240	33,219
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.	6	366
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	6	366
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या.	234	32,853



कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है।

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है।

राजीव ऋषि

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 23 मई, 2017



प्रमाणपत्र

प्रति,

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है।

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस का निर्धारित शर्तों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनुपालन किया है।

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा बैंक के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है।

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अंबेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 000478एन

(सीए एस. के. मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 010870

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017



<p>मे. चांदाभाय एंड जस्सूभाय सनदी लेखाकार 208, फीनिक्स हाउस, ए विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013</p>	<p>लोढा एंड कं. सनदी लेखाकार 14- गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700 069</p>
<p>पाठक एच. डी. एंड एसोशिघेट्स सनदी लेखाकार 814-815 तुलसियनी चैम्बर्स 212, नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 410 021</p>	<p>एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार 504, किर्ती महल 19, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली - 110 008</p>

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

- हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) की दिनांक 31 मार्च, 2017 की संलग्न वित्तीय विवरणियों जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2017 का तुलन-पत्र, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं, 23 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2158 शाखाओं की विवरणियां समाहित हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। इसके अलावा इनमें उन 2536 शाखाओं, 36 क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाते भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की 14.51%, जमाओं का 31.74%, ब्याज आय का 8.41% तथा ब्याज व्यय की 29.90% हिस्सेदारी है।

वित्तीय विवरणियों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

- इन वित्तीय विवरणियों, जो बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसरण तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई हैं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं, के प्रति प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित अश्वासन प्रकट हो सके।
- एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। इन जोखिमों के आकलनों में लेखा परीक्षा की समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में बैंक के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जोकि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर मत के प्रगटीकरण के उद्देश्य के बिना प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार की उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए हैं, जो सही एवं निष्पक्ष चित्रण कर सकें। एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।



5. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध कराता है।

अभिमत

6. बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अभिमत में :
- (ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके।
- (बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि खाता भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप उस वर्ष कवर किए गए लेखों में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाता है एवं
- (सी) नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है।

विषय का महत्त्व

7. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

अनुसूची 18 का नोट सं.6 (एच) (VI) जो ₹22991.22 करोड़ के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र से संबंधित है जिन्हें जोखिम साझेदारी के आधार पर अधिकतम 180 दिनों के लिए जारी किया गया है जिससे दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक का कुल अग्रिम ₹22991.22 करोड़ कम हो गया है।

उपर्युक्त मुद्दे पर हमारा अभिमत सापेक्ष नहीं है।

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाएं

8. तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की 29 वीं अनुसूची के अनुरूप तैयार किये गए हैं।
9. उपर्युक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :
- (ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे 10 वे संतोषप्रद पाए गए।
- (बी) हमारे संज्ञान में आए बैंक के लेनदेन, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं। एवं
- (सी) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के साथ बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाया गया।

10. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

- (ए) इस रिपोर्ट में विचारित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते बैंक की लेखा बहियों एवं विवरणियों से सुसंगत है।
- (बी) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के लेखों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई थी, जिन्हें इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने यथोचित सम्मिलित किया है।



(सी) हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 301051ई

(सीए अंबेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 000478एन

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

(सीए एस. के. मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 010870

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मे. चांदाभाय एंड जस्सूभाय सनदी लेखाकार 208, फीनिक्श हाउस, ए विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013	लोढा एंड कं. सनदी लेखाकार 14- गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700069
पाठक एच. डी. एंड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार 814-815 तुलसियनी चैम्बर्स 212, नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 410021	एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार 504, किर्ती महल 19, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली - 110008

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ('दि बैंक') के दिनांक 31 मार्च, 2016 के संलग्न संक्षिप्त तुलनपत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के संक्षिप्त लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण तथा उन पर टिप्पणियों (इसके बाद इन्हें संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां के नाम से संदर्भित किया गया है) की जांच है।

बैंक द्वारा ये संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफ नं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 के अनुसरण में तैयार की गई हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित हैं, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई हैं और हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट दिनांक 13 मई, 2017 में कवर की गई है।

कृते चांदाभाय एंड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अंबेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते लोढा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 000478एन

(सीए एस. के. मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 010870

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017



31 मार्च, 2017 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त तुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को ₹	31 मार्च 2016 को ₹
पूंजी एवं देयताएं		
पूंजी	190,217.10	168,971.43
आरक्षित निधियां एवं आधिरोष		
सांविधिक आरक्षित निधियां	206,359.79	206,359.79
पूंजी आरक्षित निधियां (नोट 1)	422,264.75	392,587.70
शेयर प्रीमियम	1,186,586.39	1,008,953.00
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां	247,025.13	234,397.71
आयकर अधिनियम 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित निधियां	10,000.00	10,000.00
लाभ-हानि खाते में शेष	(535,639.17)	(253,355.56)
कुल	1,536,596.89	1,598,942.64
आबंटन लम्बित रहते शेयर आवेदन राशि जमाएं	68,300.00	53,500.00
मांग जमा	1,320,712.52	1,197,037.20
बचत बैंक जमा	10,310,249.78	8,248,491.45
सावधि जमा	18,036,157.04	17,172,890.08
कुल	29,667,119.34	26,618,418.73
उधारी		
1. भारत में उधारी		
(ए) भारतीय रिजर्व बैंक से	1,100.53	82,500.00
(बी) अन्य बैंकों से	289,206.64	85.82
(सी) अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	69,617.36	155,493.52
(डी) अरक्षित मोचनीय बॉण्ड्स (गौण कर्ज)	115,910.00	185,910.00
(ई) अपर टियर II बॉण्ड्स	288,500.00	288,500.00
(एफ) नविन्मेषी बेमियादी कर्ज लिखत	13,910.00	108,300.00
(जी) अरक्षित मेचनीय एनसी बासल III बॉण्ड्स	150,000.00	100,000.00
2. भारत से बाहर उधारियां	-	-
कुल (1 और 2)	928,244.53	920,789.34
अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
देय बिल	75,023.69	66,245.09
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-	-
उपचित ब्याज	81,337.57	153,251.53
मानक आस्तियों पर प्रावधान	-	-
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	-	-
अन्य	793,355.29	966,491.20
कुल	949,716.55	1,185,987.82
कुल पूंजी एवं देयताएं	33,340,194.41	30,546,609.96
आस्तियां		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि बैंकों में जमा राशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7,508,675.51	1,406,950.75
भारत में बैंकों में शेष	15,715.39	16,927.47
भारत में मांग व अल्प सूचना पर शेष राशि	349,998.52	120,000.00
भारत के बाहर शेष राशि	2,263.80	10,226.37
कुल	367,977.71	147,153.84



31 मार्च, 2017 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त तुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को ₹	31 मार्च 2016 को ₹
निवेश		
1. भारत में		
(ए) सरकारी प्रतिभूतियां	7,407,073.28	6,653,268.94
(बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
(सी) शेयर्स	135,701.32	105,338.42
(डी) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स	1,035,124.02	1,727,764.11
(ई) अनुषंगियां एवं/अथवा संयुक्त उद्यम	30,399.87	30,399.87
(एफ) अन्य	596,440.45	365,233.56
2. भारत से बाहर	4,748.85	4,748.85
कुल (1 और 2)	9,209,487.79	8,886,753.75
अग्रिम		
1. भारत में		
(ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	162,945.64	178,197.92
(बी) नकद उधार, ओडी एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	6,589,911.81	7,469,508.03
(सी) मीयांदी ऋण	7,187,019.53	10,353,252.85
2. भारत से बाहर	-	-
कुल (1 और 2)	13,939,876.98	18,000,958.80
अचल आस्तियां	429,037.40	435,928.73
अन्य आस्तियां		
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	30,615.59	353,113.45
उपचित ब्याज	149,252.13	149,443.34
अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया	527,754.62	401,163.39
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	235,368.00	108,828.00
दावों के समाधान में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां	-	-
स्टेशनरी एवं स्टैम्प	1,793.63	1,807.36
अन्य	940,355.05	654,508.55
कुल	1,885,139.02	1,668,864.09
कुल आस्तियां	33,340,194.41	30,546,609.96
आकस्मिक देयताएं		
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है	10,905.47	13,078.19
अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग	329,813.81	247,223.29
बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	5,471,055.65	5,075,018.83
ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी	1,117,404.25	1,111,491.77
स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	1,379,653.86	1,211,039.11
अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	26,077.60	20,000.00
आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	1,392.25	2,493.03
कुल	8,336,302.88	7,680,344.22
संग्रहण के लिए बिल	916,893.53	118,375,835.47

पी. रमण मूर्ती

कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर

कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017



सौरभ गर्ग

निदेशक

शेखर भटनागर

निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय

निदेशक

केतुल आर. पटेल

निदेशक

एन. नित्यानंद

निदेशक

कृते चांदाभाँय एंड जस्सूभाँय

सनदी लेखाकार

एफ एन.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अंबेश ए. दवे)

भागीदार

सदस्यता सं. 049289

कृते लोढ़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)

भागीदार

सदस्यता सं. 052438

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स

सनदी लेखाकार

एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)

भागीदार

सदस्यता सं. 015585

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए एस. के. मेहता)

भागीदार

सदस्यता सं. 010870

उपर्युक्त तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017



31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त लाभ हानि खाता

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष)
आय		
आर्जित व्याज		
अग्रिमों/बिलों पर	1,628,341.21	1,897,770.92
निवेश पर	737,184.85	647,385.02
रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर	63,882.42	9,530.46
अन्य	36,732.35	34,103.31
कुल	2,466,140.83	2,588,789.71
अन्य आय		
कमीशन, विनिमय एवं दलाली	92,929.44	90,836.65
निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ	154,165.57	58,681.86
भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों पर की बिक्री पर शुद्ध लाभ	(124.21)	7,431.45
विनिमय लेनदेनों पर शुद्ध लाभ	16,906.88	16,495.88
भारत/विदेश में अनुषंगी कम्पनियों एवं/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश इत्यादि द्वारा आय	1,281.58	1,002.69
विविध आय	22,405.14	19,430.04
कुल	287,564.40	193,878.57
कुल आय	2,753,705.23	2,782,668.28
व्यय		
प्रदत्त व्याज		
जमा राशियों पर	1,733,039.66	1,765,334.17
भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधार राशियों पर	370.22	20,746.37
अन्य	75,329.70	96,146.35
कुल	1,808,739.58	1,882,226.89
परिचालन व्यय		
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	421,431.17	446,567.42
किराया, कर एवं बिजली	44,604.06	40,043.97
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4,378.60	4,437.30
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	3,332.85	3,092.97
बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास	25,737.12	23,943.38
निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	81.60	84.78
लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	2,991.63	2,520.30
विधि प्रभार	1,998.25	1,801.40
डाक, तार एवं टेलीफोन इत्यादि	4,693.46	7,456.60
मरम्मत एवं रखरखाव	12,074.55	6,951.28
बीमा	32,534.11	26,998.81
अन्य	82,245.38	72,248.69



31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त लाभ हानि खाता

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष)
कुल	636,102.78	636,146.91
कुल व्यय	2,444,842.36	2,518,373.80
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
निवेशों के अवमूल्यन पर प्रावधान	39,443.86	133,354.22
अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	653,670.00	491,273.25
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	(16,381.49)	(1,507.91)
अन्य (आयकर छोड़कर)	(14,979.73)	(121,929.07)
कुल	661,752.64	501,190.49
कुल व्यय एवं प्रावधान	3,106,595.00	3,019,564.29
पूर्वावधि मदों एवं करों से पूर्व लाभ/(हानि)	(352,889.77)	(236,896.00)
घटाएं: पूर्वावधि मद	-	30,052.00
अपवाद स्वरूप/पूर्वावधि कर पूर्व लाभ/(हानि)	(352,889.77)	(266,948.00)
वर्तमान कर	-	-
आस्थगित कर	(108,980.00)	(125,129.00)
कर पश्चात लाभ/(हानि)	(243,909.77)	(141,819.01)
आगे लाया गया लाभ/(हानि)	(253,355.57)	(102,277.26)
कुल	(497,265.34)	(244,096.27)
विनियोजन		
निम्नलिखित को अंतरित :		
सांविधिक प्रारक्षित	-	-
निवेश प्रारक्षित	38,373.83	9,259.30
कर्मचारी कल्याण निधि	-	-
राजस्व प्रारक्षित	-	-
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी	-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी	-	-
बीमा के बदले निधि	-	-
लाभांश कर	-	-
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	(535,639.17)	(253,355.57)

पी. रमण मूर्ती

कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर

कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017



सौरभ गर्ग

शेखर भटनागर

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय

निदेशक

निदेशक

निदेशक

केतुल आर. पटेल

एन. नित्यानंद

निदेशक

निदेशक

कृते चांदाभाँय एंड जस्सूभाँय

सनदी लेखाकार

एफ एन.नं. 101647डब्ल्यू

कृते लोढ़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए अंबेशा ए. दवे)

भागीदार

सदस्यता सं. 049289

(सीए आर.पी.सिंह)

भागीदार

सदस्यता सं. 052438

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेटेड्स

सनदी लेखाकार

एफआर नं. 107783डब्ल्यू

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)

भागीदार

सदस्यता सं. 015585

(सीए एस. के. मेहता)

भागीदार

सदस्यता सं. 010870

उपर्युक्त तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017



दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां

1. तैयार करने का आधार:

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के आधार पर संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां हैं (इसके बाद इन्हें “वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां” के नाम से संदर्भित किया गया है) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफनं.7/116.2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में तैयार की गई हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां ‘वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां’ की अनुसूची 17 में सन्निहित हैं।

3. लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणियां:

लेखे एवं अन्य प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणियां वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 में दी गई हैं।

4. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित मुद्दे पर ध्यान आकर्षित है:

ए. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक दिसम्बर, 1988 के अनुसार रुपये 22,991.22 करोड़ के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) साझेदारी आधार पर अधिकतम 180 दिन के लिए जारी किए गए हैं, परिणाम स्वरूप दिनांक 31.03.2017 को उतनी ही मात्रा में बैंक का कुल अग्रिम कम हो गया है।

उपर्युक्त के अलावा, कोई टिप्पणी एवं प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है

(पी. रमण मूर्ती)

कार्यपालक निदेशक

सौरभ गर्ग

निदेशक

केतुल पटेल

निदेशक

(बी. के. दिवाकर)

कार्यपालक निदेशक

शेखर भटनागर

निदेशक

एन. नित्यानंद

निदेशक

(राजीव ऋषि)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय

निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 13 मई, 2017



31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(रु. करोड़ में)

क्र.सं. विवरण	31- 03- 2017	31- 03- 2016
ए परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
करों पूर्व लाभ/ (हानि)	(3528.90)	(2669.48)
I समायोजन हेतु :		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	257.37	239.43
निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	394.42	850.61
अशोध्य अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	6,215.97	5,397.47
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(163.81)	(1,250.42)
अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	170.95	314.76
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ/हानि) (शुद्ध)	1.24	(74.31)
अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(12.82)	(10.03)
उप योग	3,334.42	2,798.03
II समायोजन हेतु :		
जमा में वृद्धि (कमी)	30,487.00	10,611.80
उधारों में वृद्धि/(कमी)	657.56	(16,766.24)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(2,511.47)	(978.09)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	34,394.85	4,320.89
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(3,621.76)	21.81
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	197.62	1,246.79
प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	(1,090.91)	(946.83)
उप योग	58,512.89	(2,489.87)
परिचालनात्मक गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	61,847.31	308.16



31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2017	31- 03- 2016
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	3.06	117.07
	अचल आस्तियों की खरीद	(191.53)	(305.97)
	सहयोगी/अनुषंगी से प्राप्त लाभांश	12.82	10.03
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	(175.65)	(178.87)
सी	वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	1,453.79	165.57
	शेयर आवेदन राशि	100.00	535.00
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	-	(82.91)
	लाभांश कर	-	(16.18)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	1,553.79	601.48
डी	नकद एवं नकद तुल्य (एफबीसी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि	63,225.45	730.77
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	14,069.51	14,114.85
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	1,471.54	695.43
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	15,541.05	14,810.28
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	75,086.76	14,069.51
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	3,679.74	1,471.54
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	78,766.50	15,541.05

नोट्स:

- 1) उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार 'अप्रत्यक्ष माध्यम' के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.
- 2) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समोहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

पी. रमण मूर्ती
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017



सौरभ गर्ग

निदेशक

शेखर भटनागर

निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय

निदेशक

केतुल आर. पटेल

निदेशक

एन. नित्यानंद

निदेशक

कृते चांदाभाँय एंड जस्सूभाँय

सनदी लेखाकार

एफ एन.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अंबेशा ए. दवे)

भागीदार

सदस्यता सं. 049289

कृते लोढा एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)

भागीदार

सदस्यता सं. 052438

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स

सनदी लेखाकार

एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)

भागीदार

सदस्यता सं. 015585

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए एस. के. मेहता)

भागीदार

सदस्यता सं. 010870

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017



<p>मे. चांदाभाँय एंड जस्सूभाँय सनदी लेखाकार 208, फीनिक्श हाउस, ए विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013</p>	<p>लोढा एंड कं. सनदी लेखाकार 14- गवर्मेन्ट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700 069</p>
<p>पाठक एच. डी. एंड एसोशिअेट्स सनदी लेखाकार 814-815 तुलसियनी चैम्बर्स 212, नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 410 021</p>	<p>एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार 504, कीर्ती महल 19, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली - 110 008</p>

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल

समेकित वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

- दिनांक 31 मार्च, 2017 को हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("मूल बैंक"), इसकी अनुषंगियों और एसोशिअेट्स (सामूहिक रूप से इन्हें "समूह" के रूप में संबोधित किया गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2017 का समेकित तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाता एवं उस वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात इन्हें "समेकित वित्तीय विवरणियाँ" से संबोधित किया गया है) शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें निम्नलिखित समाहित है :
 - हमारे द्वारा लेखापरीक्षित मूल बैंक के लेखापरीक्षित लेखे.
 - अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी 2 अनुषंगियों एवं 3 सहयोगियों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) के लेखापरीक्षित लेखे;
 - एक एसोशिअेट्स के लेखा परीक्षित लेखे जो नौ माह की अवधि के लिए अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित लेखे हैं.

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

- प्रबंधतंत्र इन समेकित वित्तीय विवरणियों, जो समूह एवं इनके अनुषंगियों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्रण करती हैं, तथा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों सहित निर्धारित लेखांकन नीतियां तथा प्रक्रियाओं के अनुसरण में तैयार की गई हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है तथा जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा जो किसी भी प्रकार के कपट अथवा त्रुटिवश महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा "इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया" द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन विदित हो सके
- एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. उन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक, प्रदत्त परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण हेतु, उन समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण में बैंक की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता है. लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं. एक लेखा परीक्षा में, अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ, समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है
- हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एवं नीचे पैरा 6 में "अन्य मामलों" में सन्दर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित विवरणियों पर हमारे सशर्त लेखा परीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं.



अभिमत

6. उक्त 1 से 5 पैराग्राफों में सूचित लेखा की सीमाओं के अधीन, प्रकटीकरण आवश्यकताओं एवं निम्नलिखित पैराग्राफ 8 के अन्य मदों में दिए अनुसार अनुषंगियों तथा एसोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अवलोकन के आधार पर, हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये समेकित विवरणियां भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक सही व निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती हैं :
- समेकित तुलन-पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2017 को समूह के क्रियाकलापों की स्थिति,
 - समेकित लाभ-हानि खाता के मामले में समूह एवं उनके एसोशिएट्स की उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि; एवं
 - समेकित नकद प्रवाह विवरणी के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

विषय का महत्व

7. हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:

₹ 22,991.22 करोड़ की अंतर-बैंक सहभागी प्रमाण पत्र से संबंधित अनुसूची 18 की नोट सं. 10, जो 180 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए साझा जोखिम आधार पर जारी की गई है, जिस कारण दिनांक 31 मार्च, 2017 को मूल बैंक का कुल अग्रिम ₹ 22,991.22 करोड़ घट गया है।

इस मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट सीमित नहीं है।

अन्य मामले

8. हमने समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल निम्नलिखित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है।
- दो अनुषंगियों, जिनकी वित्तीय विवरणियों में दिनांक 31 मार्च, 2017 को कुल आस्तियां ₹1445.51 करोड़ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹147.17 करोड़ तथा शुद्ध नकद प्रवाह ₹18.12 करोड़ दर्शाया गया है।
 - उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए चार एसोशिएट्स ने ₹ 14.90 करोड़ की शुद्ध हानि दर्शायी है।

ये वित्तीय विवरणियां अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है एवं हमारा मत पूर्णतः अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

कृते चांदाभाय एंड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 301051ई

(सीए नीरव जे. संघवी)
भागीदार
सदस्यता सं. 147529

(सीए एच. के वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23 मई, 2017



मे. चांदाभाय एंड जस्सूभाय सनदी लेखाकार 208, फीनिक्श हाउस, ए विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013	लोढा एंड कं. सनदी लेखाकार 14- गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700069
पाठक एच. डी. एंड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार 814-815 तुलसियनी चैम्बर्स 212, नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 410021	एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार 504, कीर्ती महल 19, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली - 110008

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ('मूल बैंक') एवं इसकी अनुषंगियों (सामूहिक रूप से इन्हें 'समूह' के रूप में माना गया है) के दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के संक्षिप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा उनके संलग्न टिप्पणियों (इसके बाद इन्हें संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां के नाम से सम्बोधित किया गया है) की जांच की गई।

बैंक द्वारा ये संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफनं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में तैयार की गई हैं तथा दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित हैं, इंस्टिट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरणियां' एवं लेखांकन मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणियों में असोशिएट्स में निवेशों का लेखांकन' की अपेक्षाओं के अनुरूप मूल बैंक द्वारा तैयार किए गए हैं और दिनांक 23 मई, 2017 को मूल बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में कवर किया गया है, जो इसके साथ संलग्न है।

कृते चांदाभाय एंड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए नीरव जे. संघवी)
भागीदार
सदस्यता सं. 147529

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते लोढा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 301051ई

(सीए एच. के वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23 मई, 2017



दिनांक 31 मार्च, 2017 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त समेकित तुलन पत्र

विवरण	(राशि लाख में)	
	दिनांक 31 मार्च, 2017 को (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2016 को (गत वर्ष)
पूँजी एवं देयताएं		
पूँजी	190,217.10	168,971.43
आरक्षित निधियां एवं आधिरोष		
सांविधिक आरक्षित निधियां	207,591.31	207,591.31
पूँजी आरक्षित निधियां (नोट 1)	422,264.76	392,587.71
शेयर प्रीमियम	1,186,586.39	1,008,953.00
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां	243,297.23	231,489.89
आयकर अधिनियम 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित निधियां	11,737.69	11,354.47
लाभ-हानि खाते में शेष	(508,851.64)	(223,690.74)
कुल	1,562,625.74	1,628,285.64
अल्पांश ब्याज	3,462.26	3,506.98
आवंटन लम्बित रहते शेयर आवेदन राशि	68,300.00	53,500.00
जमाएं		
मांग जमा	1,319,677.47	1,194,445.27
बचत बैंक जमा	10,310,249.78	8,248,491.45
सावधि जमा	18,100,995.41	17,225,693.65
कुल	29,730,922.66	26,668,630.37
उधारी		
1. भारत में उधारी		
(ए) भारतीय रिजर्व बैंक से	1,100.53	82,500.00
(बी) अन्य बैंकों से	320,392.49	26,708.29
(सी) अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	69,617.36	155,493.52
(डी) अरक्षित मोचनीय बॉण्ड्स (गौण कर्ज)	118,810.00	188,810.00
(ई) अपर टियर II बॉण्ड्स	288,500.00	288,500.00
(एफ) नविन्मेषी बेमियादी कर्ज लिखत	13,910.00	108,300.00
(जी) आरक्षित मोचनीय एनसी बासल III बॉण्ड्स (टियर II)	150,000.00	100,000.00
2. भारत के बाहर उधारी	-	-
कुल (1 और 2)	962,330.38	950,311.81
अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
देय बिल	75,023.69	66,245.09
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-	-
उपचित ब्याज	81,034.68	152,762.39
मानक आस्तियों पर प्रावधान	54,463.58	66,866.91
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	-	-
अन्य	741,112.20	903,033.91
कुल	951,634.15	1,188,908.30
कुल पूँजी एवं देयताएं	33,469,492.29	30,662,114.53
आस्तियां		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	7,508,718.01	1,407,020.36
बैंकों में जमा राशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि		
भारत में बैंकों में शेष	18,516.49	19,718.97
भारत में मांग व अल्प सूचना पर शेष राशि	349,998.52	120,000.00
भारत के बाहर शेष राशि	2,263.80	10,226.37
कुल	370,778.81	149,945.34



दिनांक 31 मार्च, 2017 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त समेकित तुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2017 को (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2016 को (गत वर्ष)
निवेश		
1. भारत में		
(ए) सरकारी प्रतिभूतियां	7,410,049.32	6,656,144.84
(बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
(सी) शेयर्स	135,701.32	105,338.42
(डी) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स	1,035,124.02	1,727,764.11
(ई) अनुषंगियां एवं/अथवा संयुक्त उद्यम	37,779.72	42,154.94
(एफ) अन्य	596,440.45	365,233.56
2. भारत से बाहर	12,561.29	12,032.21
कुल (1 और 2)	9,227,656.13	8,908,668.09
अग्रिम		
1. भारत में		
(ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	162,945.64	178,197.92
(बी) नकद उधार, ओडी एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	6,603,962.48	7,481,506.51
(सी) मीयांदाी ऋण	7,279,528.14	10,429,813.97
2. भारत से बाहर	-	-
कुल (1 और 2)	14,046,436.26	18,089,518.40
अचल आस्तियां	429,104.05	436,013.48
अन्य आस्तियां		
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	30,615.59	353,113.45
उपचित ब्याज	149,452.08	149,570.64
अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया	528,211.30	401,649.05
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	234,436.16	108,490.98
दावों के समाधान में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां	-	-
स्टेशनरी एवं स्टैम्प	1,793.63	1,807.36
अन्य	941,401.31	655,428.41
कुल	1,885,910.07	1,670,059.89
समेकन पर गुडविल	888.96	888.96
कुल आस्तियां	33,469,492.29	30,662,114.53
आकस्मिक देयताएं		
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है	10,930.47	13,103.19
अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग	330,243.59	247,628.01
आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	1,392.25	2,493.03
बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	5,471,055.65	5,075,018.83
ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी	1,117,404.25	1,111,491.77
स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	1,379,653.86	1,211,039.11
अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	26,102.59	20,000.00
कुल	8,336,782.66	7,680,773.94
संग्रहण के लिए बिल	916,893.53	1,183,758.35

(पी. रमण मूर्ती)

कार्यपालक निदेशक

(बी.के. दिवाकर)

कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 23 मई, 2017



सौरभ गर्ग

निदेशक

शेखर भटनागर

निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय

निदेशक

केतुल आर. पटेल

निदेशक

एन. नित्यानंद

निदेशक

कृते चांदाभाय एंड जस्सूभाय

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

कृते लोढा एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.एन.नं. 301051ई

(सीए नीरव जे. संघवी)

भागीदार

सदस्यता सं. 147529

(सीए एच. के वर्मा)

भागीदार

सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स

सनदी लेखाकार

एफआर नं. 107783डब्ल्यू

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)

भागीदार

सदस्यता सं. 015585

(सीए ज्योति बग्गा)

भागीदार

सदस्यता सं. 087002

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23 मई, 2017



दिनांक 31 मार्च, 2017 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त समेकित लाभ-हानि खाता

विवरण	(राशि लाख में)	
	दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष)
आय		
अर्जित व्याज		
अग्रिमों/बिलों पर	1,639,168.30	1,907,375.78
निवेश पर	737,679.56	647,755.11
रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर	63,882.42	9,530.46
अन्य	36,734.69	34,104.32
कुल	2,477,464.97	2,598,765.67
अन्य आय		
कमीशन, विनिमय एवं दलाली	93,235.73	91,134.36
निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ	154,165.57	58,681.86
भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों पर की बिक्री पर शुद्ध लाभ	(124.12)	7,431.81
विनिमय लेनदेनों पर शुद्ध लाभ	16,906.88	16,495.88
भारत/विदेश में अनुषंगी कम्पनियों एवं/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश इत्यादि द्वारा आय	-	661.31
विविध आय	22,962.81	20,041.96
कुल	287,146.87	194,447.18
कुल आय	2,764,611.84	2,793,212.85
व्यय		
प्रदत्त व्याज		
जमा राशियों पर	1,732,720.28	1,764,970.91
भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधार राशियों पर	8,430.86	27,754.87
अन्य	75,493.89	96,204.06
कुल	1,816,645.03	1,888,929.84
परिचालन व्यय		
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	422,120.11	447,215.41
किराया, कर एवं बिजली	44,795.01	40,232.31
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4,388.70	4,450.79
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	3,339.11	3,099.73
बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास	25,769.28	23,978.89
निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	115.19	120.71
लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	3,023.44	2,534.03
विधि प्रभार	2,164.89	1,966.06
डाक, तार एवं टेलीफोन इत्यादि	4,717.12	7,481.34
मरम्मत एवं रखरखाव	12,082.21	6,958.69
बट्टाकृत अशोध्य ऋण	51.30	141.97
बीमा	32,538.27	27,000.12
अन्य	82,722.69	72,589.04
कुल	637,827.32	637,769.09



दिनांक 31 मार्च, 2017 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त समेकित लाभ-हानि खाता

विवरण	(राशि लाख में)	
	दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष)
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
निवेशों के अवमूल्यन पर प्रावधान	39,443.86	85,061.28
अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	621,953.13	539,991.51
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	(16,297.82)	(1,363.79)
अन्य (आयकर छोड़कर)	17,291.04	(122,109.65)
कुल	662,390.21	501,579.35
कुल व्यय एवं प्रावधान	3,116,862.56	3,028,278.28
पूर्वावधि मदों एवं करों से पूर्व लाभ/(हानि)	(352,250.72)	(235,065.43)
घटाएं: पूर्वावधि मद	(58.65)	(30,049.23)
अपवाद स्वरूप/पूर्वावधि कर पूर्व लाभ/(हानि)	(352,309.37)	(265,114.66)
वर्तमान कर	686.17	531.36
आस्थगित कर	(108,807.73)	(125,029.41)
कर पश्चात लाभ/(हानि)	(244,187.81)	(140,616.61)
जेडें: एसोशिएट्स में आय का शेयर	(1,490.23)	1,458.63
अल्पांश व्याज घटाएं	(258.06)	(478.53)
घटाएं: अधिग्रहण पूर्व लाभ	-	-
समूह लाभ	(245,936.10)	(139,636.51)
आगे लाया गया लाभ/(हानि)	(223,690.74)	(73,898.09)
एशोसिएट्स में निवेश के अंतरण के लिए समेकित लाभ को आगे ले जाए गए में कमी को घटाया	-	-
कुल	(469,626.84)	(213,534.60)
विनियोजन		
निम्नलिखित को अंतरित :		
सांविधिक प्रारक्षित	-	100.00
निवेश प्रारक्षित	38,373.83	9,259.30
कर्मचारी कल्याण निधि	-	-
राजस्व प्रारक्षित	120.81	95.41
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी	-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी	-	-
बीमा के बदले निधि	-	-
लाभांश कर	57.11	178.49
36 (1) (स्ग्ग) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित निधियां	383.22	287.10
एनएचबी दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट आरक्षित निधियों पर डीटीएल का विनियोजन	272.12	211.28
कम्पनी अधिनियम के अनुसार सीएसआर आरक्षित निधियां	17.71	24.56
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	(508,851.64)	(223,690.74)

(पी. रमण मूर्ती)

कार्यपालक निदेशक

(बी.के. दिवाकर)

कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुम्बई

दिनांक: 23 मई, 2017



सौरभ गर्ग

निदेशक

शेखर भटनागर

निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय

निदेशक

केतुल आर. पटेल

निदेशक

एन. नित्यानंद

निदेशक

कृते चांदाभाय एंड जस्सूभाय

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

कृते लोढा एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.एन.नं. 301051ई

(सीए नीरव जे. संघवी)

भागीदार

सदस्यता सं. 147529

(सीए एच. के वर्मा)

भागीदार

सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेटेड्स

सनदी लेखाकार

एफआर नं. 107783डब्ल्यू

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)

भागीदार

सदस्यता सं. 015585

(सीए ज्योति बग्गा)

भागीदार

सदस्यता सं. 087002

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23 मई, 2017



दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

1. तैयार करने का आधार :

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफनं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में बैंक, इसकी दो अनुषंगियों की लेखापरीक्षित एवं चार एसोशिएट्स की अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर, (इसके बाद इन्हें 'समेकित वित्तीय विवरणियां' के नाम से संबोधित किया जाएगा.) तैयार की गई हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

समेकित खाते तैयार करने के आधार सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 'समेकित वित्तीय विवरणियों' की अनुसूची 17 में सन्निहित हैं।

3. लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से सम्बंधित टिप्पणियाँ :

लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से सम्बंधित टिप्पणियाँ समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 में दी गई हैं। तथापि लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों में ध्यान आकर्षित करने सम्बन्धी टिप्पणियां एवं प्रकटीकरण निम्नलिखित पैरा 5 में दिए गए हैं।

4. एक विदेशी एसोशिएट अर्थात इंडो जाम्बिया बैंक लि. का लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष है। तथापि शेषों में लाभ को 9 माह के लिए लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लिया गया है और 3 माह के लिए अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लिया है। इस एसोशिएट की वित्तीय विवरणी स्थानीय नियमों के अंतर्गत अपनाये जा रहे लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार की गई है। प्रबंधन के विचार में, इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक दिसम्बर 1988 के अनुसार रुपये 22,991.22 करोड़ के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) साझेदारी आधार पर अधिकतम 180 दिन के लिए जारी किए गए हैं, परिणाम स्वरूप दिनांक 31.03.2017 को उतनी ही मात्रा में बैंक का कुल अग्रिम कम हो गया है।
6. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनर्समूहित /पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(पी. रमण मूर्ती)

कार्यपालक निदेशक

(बी.के. दिवाकर)

कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23 मई, 2017



31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31- 03- 2017	31- 03- 2016
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	करों पूर्व लाभ / (हानि)	(3,523.09)	(2,651.15)
I	समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	257.69	239.79
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	394.44	850.61
	गैर अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	6,219.53	5,399.92
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(162.98)	(1,247.97)
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	172.91	314.76
	अचल आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर (लाभ)/हानि	1.24	(74.32)
	उप योग	3,359.74	2,831.64
II	समायोजन हेतु :		
	जमा में वृद्धि (कमी)	30,622.92	10,744.70
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	703.19	(16,595.47)
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(2,561.05)	(965.22)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	34,211.29	4,020.39
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(3,569.42)	(30.48)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	203.63	1,246.10
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की शुद्ध राशि आदि)	(1,099.63)	(970.37)
	उप योग	58,510.93	(2,550.35)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	61,870.67	281.29
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	3.06	157.35
	अचल आस्तियों की खरीद	(191.68)	(306.31)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	(188.62)	(148.96)



31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31- 03- 2017	31- 03- 2016
सी	वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	1,453.79	165.57
	शेयर आवेदन राशि	100.00	535.00
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	(8.75)	(84.25)
	लाभांश कर	(1.78)	(17.03)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	1,543.26	599.29
डी	नकद एवं नकद तुल्य (एफबीसी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि	63,225.31	731.62
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	14,070.20	14,116.37
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	1,499.45	721.66
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	15,569.65	14,838.03
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	75,087.18	14,070.20
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	3,707.79	1,499.45
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	78,794.97	15,569.65

नोट्स:

- 1) उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार 'अप्रत्यक्ष माध्यम' के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.
- 2) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समोहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

(पी. रमण मूर्ती)

कार्यपालक निदेशक

(बी.के. दिवाकर)

कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23.05.2017



सौरभ गर्ग

निदेशक

शेखर भटनागर

निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय

निदेशक

केतुल आर. पटेल

निदेशक

एन. नित्यानंद

निदेशक

कृते चांदाभाँय एंड जस्सूभाँय

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

कृते लोढा एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.एन.नं. 301051ई

(सीए नीरव जे. संघवी)

भागीदार

सदस्यता सं. 147529

(सीए एच. के वर्मा)

भागीदार

सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेटेड्स

सनदी लेखाकार

एफआर नं. 107783डब्ल्यू

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)

भागीदार

सदस्यता सं. 015585

(सीए ज्योति बग्गा)

भागीदार

सदस्यता सं. 087002

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23 मई, 2017

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म - "बी"

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

10वीं वार्षिक सामान्य बैठक

पत्रा सं. या डीपी आईडी & ग्राहक आईडी &	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम ----- निवासी ----- जिला -----, राज्य -----
 -----, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से श्री/सुश्री ----- निवासी
 ----- जिला -----, राज्य -----, को अथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री
 ----- निवासी ----- जिला -----, राज्य -----,
 को शुक्रवार, 30 जून, 2017 पूर्वाह्न 11.00 बजे, स्थान: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के 9वें मंजिल में सेन्ट्रल बैंक
 ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली 10वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती
 हूँ/करते हैं.

तारीख ----- माह ----- वर्ष 2017 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर -----

कृपया
रेवेन्यू टिकिट
लगाएं

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर -----

नाम -----

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता -----



प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
 - (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत किया गया हो.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 23 जून, 2017 को सायं: 5.00 बजे, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस रविवार, 25 जून, 2017 है जो छुट्टी का दिन है, से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का प्रपत्र 'फार्म बी' में न होने पर वैध माना नहीं जाएगा.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

10वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शुक्रवार, 30 जून, 2017, प्रातः 11:00 बजे

पंजीकृत पत्रा / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
संयुक्त धारक	
उपस्थित प्राक्सीधारक/ प्रतिनिधि का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (यदि कोई हो)	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिन और दिनांक	शुक्रवार, 30 जून, 2017
स्थान	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई ज 400 021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

10वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शुक्रवार, 30 जून, 2017, प्रातः 11:00 बजे

स्थान : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/ प्रतिनिधि

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

का नाम एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/ प्राक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें। प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्राक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे। तदपि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा। किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा।



CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR'S MESSAGE

Dear Shareholder,

The year we just completed had also been quite challenging as the year owing to both global and domestic economics scenarios.

Global growth, however, is expected to gain momentum in 2017 after a sluggish growth in 2016. US economic growth is likely to improve with increase in sentiments. Declining unemployment and inflation gaining strength resulted in Fed hike in rates. Anticipated fiscal stimulus by the new government should further boost growth prospects. Strengthening dollar, increasing protectionism, etc. may thwart growth to some extent in US. Eurozone should move in the path of moderate growth with continuous monetary stimulus. The growth prospect in the region also depends on the outcome of 'Brexit' negotiation. Increasing production and exports are helping the Japanese economy to some extent. The Chinese economy avoided a hard landing last year as it rebalances its economy and tries to focus more on domestic consumption driven growth. Rising commodity prices should benefit some of the commodity exporting economies.

Indian economy is recovering from the 'transitory' impact of demonetisation. The piled up deposits in the banking system due to demonetisation should support credit growth. This coupled with positive measures announced in the Union Budget 2017-18 should fuel growth. Goods and Service Tax (GST) should further help augment the economic growth. International Monetary Fund retained its growth forecast for India at 7.2% for FY 2017-18. Also it bumped up estimated growth of India to 6.8% from 6.6% estimated previously. Inflation moderated to 4.5% in FY 2016-17 from 4.9% in FY 2015-16. Prices of pulses and sugar continued to remain high. Rising global commodity prices along with currency volatility pose significant upside risk to inflation.

Export turned positive after prolonged slackness. Imports also had increased due to rising bill for oil imports. The current account deficit as a percentage of GDP expected to be around 1% in FY 2016-17. Foreign direct investment on cumulative basis had a double digit growth between April to December 2016-17. The portfolio investment has also turned positive in recent past.

The prospect of Indian economy is bright in the medium term with stable government, policy initiatives, reform measures and demographic dividend.

Tough time continues for public sector banks. Public Sector Banks will face competition from other institutions such as payment banks and private and foreign banks. Demonetization has led to piled up of deposit in the banking industry and affected the cash intensive industries. The credit growth has stayed sluggish due to stress in corporate balance sheets.

The Financial Year 2016-17 has been a year of consolidation as well as challenges for the Bank. The Bank continued to strategize its focus on recoveries which yielded better results during the year. Cash Recovery increased to Rs. 2378 crore in the financial year ended March 31, 2017 as compared to Rs.1287 crore in the previous financial year ended March 31, 2016 registering growth of 84.77%. Further, upgradation of assets improved to Rs. 1183 crore in the financial year March 31, 2017 as compared to Rs.608 crore in the previous financial year ended March 31, 2016. The banking industry faces challenges from mounting non-performing assets and resolution thereof. The Reserve Bank of India has revised the characteristics of Prompt Corrective Action (PCA) and stressed on asset quality and profitability to monitor banks and also defined three risk thresholds. Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is a welcome move that should speed up the recovery process.

During the Financial Year 2016-17, Business of the Bank stood at Rs. 4,49,679 crore as compared to Rs. 4,56,336 crore in the Financial Year 2015-16. The Deposit of the Bank has grown by 11.45% to Rs. 296671 crore for the financial year ended March



31, 2017. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 39.20% as against 35.48% in Financial Year 2015-16. To ensure profitable growth in Business, High Cost Deposits have been shed considerably. The share of high cost deposits as a proportion of Total deposits has been reduced to 3.70% as on March 2017 from as high as 5.56% as on March 2016. This is well reflected in growth of Aggregate Core Deposits at 13.65 %.

The operating profit of the Bank increased to Rs. 3089 crore from Rs. 2642 crore in Financial Year 2015-16 registering y-o-y growth of 16.92%. However, the Bank posted Net loss of Rs. 2439 crore in the financial year 2016-17 mainly on account of higher provisioning.

The Bank's Cost of Deposits reduced to 6.20% in the Financial Year 2016-17 from 6.86% in the Financial Year 2015-16, the Net Interest Income of the Bank reduced to Rs. 6574 crore from Rs. 7065 crore in Financial Year 2015-16. Non-Interest Income of the Bank increased to Rs. 2876 crore for the financial year ended March 31, 2017 compared to Rs. 1938 crore for the financial year ended March 31, 2016, registering y-o-y growth of 48.38%.

Asset Quality has been the concern of the Bank for last couple of years. Gross NPA to Gross Advances increased to 17.81 % as on March 31, 2017 from 11.95 % as on March 31, 2016, which was due to sale of loan assets of Rs. 22991.22 crore through IBPC participation. Net NPA to Net Advances increased to 10.20 % as on March 31, 2017 from 7.36 % as on March 31, 2016. Your Bank has been proactive in respect of NPA Management and shall continue its effort to reduce the NPA level. Provision Coverage Ratio improved to 58.43% as on March 31, 2017 from 51.52 % as on March 31, 2016.

A Bank with 4714 branches as on March 2017, of which 2/3 rd of the Branches are in rural and semi urban areas and 3677 Ultra Small Branches shall continue to position itself as a Retail Bank. Your Bank shall be ensuring that the retail and priority sector portfolios grow much faster than they have been so far.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended March 31, 2017.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-
Rajeev Rishi

Place: Mumbai
Date: May 23, 2017



NOTICE

Notice is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Friday, 30th June, 2017 at 11.00 A.M. on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 to transact the following business :

- 1) To discuss, approve and adopt the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2) **To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “Board”) which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of Rs. 6,500/- crore (Rupees Six Thousand Five Hundred Crore Only)(including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”), Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“SEBI ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of



ICDR Regulations.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations:

- A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution.”
- B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the



members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

A K DAS

**Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary**

Place: Mumbai
Date: 23.05.2017

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 23rd June, 2017 being the immediate preceding working day to Sunday, 25th June, 2017 which is holiday.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative,



certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 23rd June, 2017 being the immediate preceding working day to Sunday, 25th June, 2017 which is holiday.

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is enclosed with this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / Authorised Representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "Proxy or Authorised Representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

6. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 27th June, 2017 (Tuesday) to 30th June, 2017 (Friday) (both days inclusive).

7. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

8. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

9. Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.

10.1 Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- Address of the Branch
- Bank Account Number
- 9 digit MICR code of the branch
- IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/ copy of a cheque leaf).

Please note that the Bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.



10.2 Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the addresses maintained by them with Depositories.

It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend amount (as and when declared) directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft , etc.

11. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.**

12. Voting through electronic means

- I. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting.

The process and instructions for remote e-voting are as under :

- (i) The remote e-voting period begins on Tuesday, 27th June 2017 at 10.00 AM and ends on Thursday, 29th June 2017 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Saturday, 24th June 2017, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders/Members.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.



- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on the Address Sticker pasted on the Annual Report, indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN of CENTRAL BANK OF INDIA on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.



- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xx) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. 24th June 2017. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 24th June, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting/poll at AGM.
- IV. Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 24th June, 2017, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
- V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.
- VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer’s Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer’s Report shall be placed on the Bank’s website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.



EXPLANATORY STATEMENT

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.5% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 1.88% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 8.88% and overall CRAR of 10.88% by March 31, 2018. To comply with the Basel III requirement, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

Based on the business estimates your Directors have decided to raise equity capital up to Rs. 6500 crore (Rupees Six Thousand Five Hundred Crore) and the Bank may use equity capital raising options such as through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placements and/ or any other mode(s) subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

- i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
- iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;
- iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- v. The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;
- vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.
- vii. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

A K DAS

**Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary**

Place: Mumbai
Date: 23.05.2017



TOTAL BUSINESS											
											(RS. IN CRORES)
PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17
Total Business	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679
YoY Growth		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)
Total Deposits	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671
YoY Growth		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%
Total Loans & Advances	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008
YoY Growth		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)
Investments	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792
YoY Growth		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%
CD Ratio	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%
Return on Assets	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)

PROFITABILITY											
											(RS. IN CRORES)
PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17
Gross Income	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537
YoY Growth		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)
Gross Expenses	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448
YoY Growth		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)
Operating Profit	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089
YoY Growth		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%
Net Profit	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)
YoY Growth		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----
NIM (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51
Net Interest Income	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574
YoY Growth		(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)
Non Interest Income	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876
YoY Growth		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%



DIRECTORS' REPORT 2016-17

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2017.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- ❖ Total Business of the Bank stood at Rs. 449679 crore as at March 31, 2017 compared to Rs. 456336 crore as at March 31, 2016.
- ❖ Total Deposits reached to Rs. 296671 crore in March 2017 from Rs. 266184 crore as at March, 2016 showing a y-o-y growth of 11.45 %.
- ❖ Total Advances of the Bank stood at Rs. 153008 crore in March 2017 as against Rs. 190152 crore in March 2016 which was due to sale of loan assets of Rs. 22991.22 crore through IBPC participation.
- ❖ Total Income for the financial year ended March 31, 2017 was Rs. 27537 crore as compared to Rs.27825 crore for the financial year ended March 31, 2016.
- ❖ Non Interest Income of the Bank increased to Rs. 2876 crore for the financial year ended March 31, 2017 compared to Rs. 1938 crore for the financial year ended March 31, 2016, registering y-o-y growth of 48.38 %.
- ❖ Operating Profit of the Bank stood at Rs. 3089 crore for the financial year ended March 31, 2017 as compared to Rs. 2642 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2016, registering y-o-y growth of 16.92 %.
- ❖ Net Loss for the quarter ended March 31, 2017 reduced to Rs. 592 crore in comparison to Net Loss of Rs. 898 crore for the quarter ended March 31, 2016. Net Loss of the Bank stood at Rs. 2439 crore for the financial year ended March 31, 2017.
- ❖ Expenses on employees decreased by Rs. 251 crore during the year to Rs. 4214 crore from Rs. 4465 crore in previous year.
- ❖ Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 11.28 per cent with Tier I at 7.16 percent as against 11.07 per cent in previous year. Capital Adequacy Ratio (as per Basel III) stood at 10.95 per cent with Tier I at 8.62 percent as against 10.41 per cent in previous year.
- ❖ Net worth stood at Rs. 14735.84 crore.
- ❖ Cash Recovery increased to Rs. 2378 crore in the financial year ended March 31, 2017 as compared to Rs.1287 crore in the previous financial year ended March 31, 2016.
- ❖ Upgradation of assets improved to Rs. 1183 crore in the financial year March 31, 2017 as compared to Rs.608 crore in the previous financial year ended March 31, 2016.
- ❖ Gross NPA to Gross Advances increased to 17.81 % as on March 31, 2017 from 11.95 % as on March 31, 2016, which was due to sale of loan assets of Rs. 22991.22 crore through IBPC participation.
- ❖ Net NPA to Net Advances increased to 10.20 % as on March 31, 2017 from 7.36 % as on March 31, 2016.
- ❖ Provision Coverage Ratio improved to 58.43% as on March 31, 2017 from 51.52 % as on March 31, 2016.
- ❖ Net Interest Margin (NIM) stood at 2.51 per cent in FY 2016-17.
- ❖ Business per Employee stood at Rs.11.81 crore in FY 2016-17.
- ❖ Return on Assets (ROA) is (0.80) per cent for the financial year ended March 31, 2017.
- ❖ The credit deployment under priority sector increased from Rs.82771 crore to Rs.88085.80 crore during 2016-17, recording a growth of Rs.5314.80 crore over previous year. However, to take a benefit of excessive lending in PS advances, Bank sold PSLCs worth Rs.1065 crore and IBPC Rs.8761.80 crore In spite of the sale; Bank's PS lending is in excess by Rs.1621.40 crore.



- ❖ Agriculture Advance of the Bank increased to Rs.37537 crore from Rs.36760 crore in FY 2016-17 registering y-o-y growth of 2.11 per cent.
- ❖ MSME Advances for the Financial Year ended March 31, 2017 stood at Rs. 30701 crore constituting 20.06 % of the total loans and advances.
- ❖ Retail Loans for the Financial Year ended March 31, 2017 stood at Rs. 32008 crore constituting 20.92% of the total loans & advances.
- ❖ Housing Loan portfolio of the Bank stood at Rs. 12510 crore constituting 39.08 % of the total Retail Portfolio as on March 31, 2017.
- ❖ Bank has established 46 Rural Self Employment and Training Institute (RSETIs) in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). During the year 2016-17, the RSETIs conducted 1153 training programmes and imparted training to 31961 candidates. Out of this, 26511 (i.e.83%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance.
- ❖ Bank has 3 RRBs as on 31st March 2017 in 3 states covering 47 districts with a network of 1629 branches.
- ❖ Under Financial Inclusion Bank has covered **4,330** villages with population above 2000 and **18,376** villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through **6,387** BC Agents. We have opened 176 Urban Financial Inclusion centres. Bank has opened **170.89** lacs Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is **2070.14 crores** as on 31st March, 2017.
- ❖ Total earning from Bancassurance business is Rs. 17.07 crore for FY 2016-17.
- ❖ As on 31st March 2017, Bank has a network of 4714 branches, 3677 ultra-small branches (USBs), 5285 ATMs, 10 Satellite Offices & 1 Extension Counters across the country.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the period 2016-17 are given hereunder:

		Rs. In Crores			
		31.03.2017	31.03.2016	Variation	%
1	INTEREST INCOME	24661	25887	(1226)	(4.73)
	- Advances	16283	18978	(2695)	(14.20)
	- Investments	7372	6474	898	13.87
	- Others	1006	435	571	131.26
2	NON INTEREST INCOME	2876	1938	938	48.40
3	TOTAL INCOME (1+2)	27537	27825	(288)	(1.03)
4	INTEREST EXPENDED	18087	18822	(735)	(3.90)
	- Deposits	17330	17653	(323)	(1.83)
	- Others	757	1169	(412)	(54.43)
5	OPERATING EXPENSES	6361	6361	0	0
	- Establishment	4214	4465	(251)	(5.62)
	- Others	2147	1896	251	13.24
6	TOTAL EXPENSES (4+5)	24448	25183	(735)	(2.92)
7	SPREAD (1-4)	6574	7065	(491)	(6.95)
8	OPERATING PROFIT (3-6)	3089	2642	447	16.91
9	PROVISIONS	5528	4060	1468	36.15
10	PROVISIONS FOR TAX	(1090)	(1251)	161	(12.87)
11	NET PROFIT/(LOSS)	(2439)	(1418)	(1021)	(72.00)



3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of Rs.5528 crore charged to the Profit and Loss Account during the year 2016-17 vis-a-vis previous year are detailed as under:

	(Rs. in crore)		
	31.03.2017	31.03.2016	Variation
Provisions for Standard Assets	(164)	470	(634)
Provisions for NPAs	6216	4913	1303
Provisions for Restructured Accounts	321	(1235)	1556
Provision on Investments	300	851	(551)
Provisions for Taxes	(1090)	(1251)	161
Others	(55)	312	(367)
TOTAL	5528	4060	1468

4. PROFITABILITY RATIOS

	(In percentage)	
	31.03.2017	31.03.2016
Cost of Deposits	6.20	6.86
Cost of Funds	6.27	6.95
Yield on Advances	9.01	10.09
Yield on Investments	7.38	7.46
Net Interest Margin	2.51	2.78
Cost Income Ratio	67.31	70.65

5. BUSINESS RATIOS

	(In percentage)	
	31.03.2017	31.03.2016
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	8.10	8.85
Non-Interest Income to AWF	0.94	0.66
Operating Profit to AWF	1.01	0.90
Return on Average Assets	(0.80)	(0.48)
Business Per Employee (Rs. in crore)	11.81	11.95
Net Profit per Employee (Rs. in lakh)	(6.49)	(3.76)

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2017		31.03.2016	
	Basel-II	Basel-III	Basel-II	Basel-III
Tier-I	7.16	8.62	7.44	8.20
Tier-II	4.12	2.33	3.63	2.21
Capital Adequacy Ratio	11.28	10.95	11.07	10.41

7. NET LOSS

The Bank has incurred net loss amounting to Rs.2439 crore during the financial year ended March 31, 2017. Accordingly, Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2016-17.



8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- ❖ Shri S. B. Rode ceased to be the Officer Employee Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 01.04.2016 consequent upon completion of his tenure.
- ❖ Shri N. Nityananda was appointed as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant Category for a period of three years w.e.f 21st June 2016.
- ❖ Shri Gurbax Kumar Joshi ceased to be the Workmen Employee Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 09.07.2016 consequent upon completion of his tenure.
- ❖ Smt N. S. Rathnaprabha ceased to be the Part-Time Non-official Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 18.12.2016 consequent upon completion of her three years' tenure.
- ❖ Shri R. K. Goyal retired from the position of Executive Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 31.12.2016 on attaining superannuation.
- ❖ Shri P. Ramana Murthy was appointed as Executive Director of the Bank for a period of 3 years w.e.f. 17.02.2017.
- ❖ Shri R. C. Lodha retired from the position of Executive Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 28.02.2017 on attaining superannuation.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri S. B. Rode, Shri Gurbax Kumar Joshi, Smt N. S. Rathnaprabha, Shri R. K. Goyal and Shri R. C. Lodha who ceased to be the directors of the Bank during the Financial Year 2016-17.

9. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees and directors without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee on need basis. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

10. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

Business Responsibility Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been hosted on the website of the Bank (www.centralbankofindia.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary at the Head Office of the Bank.

11. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2017:

- ❖ The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- ❖ The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- ❖ Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the financial year ended March 31,2017;
- ❖ Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India ; and
- ❖ The accounts have been prepared on a going concern basis;
- ❖ Internal Financial Control are adequate and were operating effectively; and



- ❖ Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems were adequate and operating effectively.

12. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

13. ACKNOWLEDGMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Rajeev Rishi

Chairman & Managing Director

Place : Mumbai

Date : May 23, 2017



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A: ECONOMIC SCENARIO

Global growth is expected to gain momentum in 2017 after a sluggish growth in 2016. US economic growth is likely to improve with increase in sentiments. Declining unemployment and inflation gaining strength resulted in Fed hike in rates. Anticipated fiscal stimulus by the new government should further boost growth prospects. Strengthening dollar, increasing protectionism, etc. may thwart growth to some extent in US. Eurozone should move in the path of moderate growth with continuous monetary stimulus. The growth prospect in the region also depends on the outcome of 'Brexit' negotiation. Increasing production and exports are helping the Japanese economy to some extent. The Chinese economy avoided a hard landing last year as it rebalances its economy and tries to focus more on domestic consumption driven growth. Rising commodity prices should benefit some of the commodity exporting economies.

Indian economy is recovering from the 'transitory' impact of demonetisation. The piled up deposits in the banking system due to demonetisation should support credit growth. This coupled with positive measures announced in the Union Budget 2017-18 should fuel growth. Goods and Service Tax (GST) should further help augment the economic growth. International Monetary Fund retained its growth forecast for India at 7.2% for FY 2017-18. Also it bumped up estimated growth of India to 6.8% from 6.6% estimated previously. Inflation moderated to 4.5% in FY 2016-17 from 4.9% in FY 2015-16. Prices of pulses and sugar continued to remain high. Rising global commodity prices along with currency volatility pose significant upside risk to inflation.

Export turned positive after prolonged slackness. Imports also had increased due to rising bill for oil imports. The current account deficit as a percentage of GDP expected to be around 1% in FY 2016-17. Foreign direct investment on cumulative basis had a double digit growth between April to December 2016-17. The portfolio investment has also turned positive in recent past.

The prospect of Indian economy is bright in the medium term with stable government, policy initiatives, reform measures and demographic dividend.

CHANGING BANKING SCENARIO

Tough time continues for public sector banks. The banking industry faces challenges from mounting non-performing assets. Public Sector banks will face competition from other institutions such as payment banks and private and foreign banks. Demonetisation has led to piled up of deposit in the banking industry and affected the cash intensive industries. The credit growth has stayed sluggish due to stress in corporate balance sheets. The Reserve Bank of India has revised the characteristics of Prompt Corrective Action (PCA) and stressed on asset quality and profitability to monitor banks and also defined three risk thresholds. Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is a welcome move that should speed up the recovery process.

Part- B- PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on 31st March 2017, the Total Business of the Bank was Rs. 449679 crore, registering a decline of (1.46) per cent from the previous year figure of Rs. 456336 crore. There was a reduction of High Cost + CODs to the extent of Rs.1452 crores and Rs.2617 crores DISCOM advances converted into Bonds and sale of loan assets (IBPC) of Rs 22991 crores resulting in reduction of Business by Rs.27060 crores during FY 2016-17, otherwise, the Business growth over March 2016 would have been 4.47%.

The Operating Profit reached to Rs.3089 crore from previous year figure of Rs.2642 crore, showing a growth of 16.91 per cent. The Bank has posted a Net loss of Rs. 2439 crore in 2016-17 as against loss of Rs.1418 crore in previous year on account of increased provisions.

RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2017 stood at Rs. 296671 crore, registering a growth rate of 11.45 per cent over previous year, after reduction of High Cost + CODs to the extent of Rs.1452 crores, otherwise, the growth would have been 12%. Saving Bank Deposits increased to Rs. 103102 crore with a growth of 25.00% in 2016-17 from Rs. 82485 crore in last year and Current Deposits increased to Rs. 13207 crore in 2016-17 from Rs. 11970 crore in 2015-16. The share of CASA Deposits to Total Deposits has increased to 39.20 per cent as against 35.48 % during the last year. Total Aggregate Deposits increased



to Rs.290972 crore in 2016-17 with Y-o-Y growth of 11.87 per cent from Rs. 260101 crore in 2015-16 whereas Core Term Deposits grew by 7.94 per cent to reach the level of Rs.169384 crore in 2016-17 from Rs.156921 crore in 2015-16.

STRATEGY AND PROGRESS OF IND AS IMPLEMENTATION IN THE BANK

The Reserve Bank of India vide circular dated 11th February, 2016 has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) in Banks from the accounting period beginning from FY 2018-19 onwards. The Bank has engaged services of an Ind AS Consultant, constituted Core Ind AS Team and commenced the implementation. A Steering Committee headed by an Executive Director has been constituted to monitor the progress. The Board of Directors and Audit Committee of the Board periodically reviews the progress of Ind AS implementation. As directed by RBI, the Bank has submitted the Proforma Financial Statement for the half year ended 30th September, 2016 to Reserve Bank of India on 30.11.2016.

CREDIT

Total Advances of the Bank stood at Rs. 153008 crore in March 2017 as against Rs. 190152 crore in March 2016 which was due to sale of loan assets of Rs. 22991.22 crore through IBPC participation

Credit Monitoring Department

Bank has introduced a well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up Measures and Reporting System.

PRIORITY SECTOR CREDIT

As per RBI directives, 40% of adjusted net bank credit or credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to priority sector. Lending under this sector is therefore, the thrust area of the Bank. We have focused on the growth in lending to Agriculture, MSME, Housing, Education and others which are the major constituents of Priority Sector. As a result, our growth under Priority Sector lending has been quite impressive.

The credit deployment under priority sector increased to Rs.88085.80 crore during 2016-17, recording a growth of Rs.5314.80 crore over previous year. However, to take a benefit of excessive lending in PS advances, Bank sold PSLCs worth Rs.1065 crore and IBPC of Rs.8761.80 crore In spite of the sale; Bank's PS lending is in excess by Rs.1621.40 crore.

RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes was Rs.32008 crore as on 31.03.2017. The Retail portfolio of the Bank was over 20 % of its total advances.

INTERNATIONAL DIVISION

- ❖ Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 91 Authorized Dealer ('B' category) Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience.
- ❖ As on 31.03.2017 the Export Credit portfolio of the Bank is Rs 5452 crore in comparison to Rs.5628 crore as on 31.03.2016.
- ❖ Merchant trade foreign exchange turnover was Rs. 38,269 crore in FY 2016-17 as against Rs. 44,027 crore in FY 2015-16.
- ❖ NRE Deposits increased from Rs. 3,819 crore as on 31.03.2016 to Rs. 4457 crore as on 31.3.2017; an increase of 17% over the previous year.
- ❖ FCNR Deposits increased from USD 204.21 million as on 31.3.2016 to USD 217.86 million as on 31.03.2017; an increase of 6.27% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- ❖ The investment portfolio of the Bank has increased to Rs.93,792 crore as on 31st March 2017 as against Rs. 89,895 crore as on 31st March 2016 thereby recording an increase of 4.28% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 6.66% as on 31st March 2017 vis-à-vis 7.42% on 31.03.2016.



- ❖ RBI reduced the Repo rates in FY 2016-17 by 0.5 % (0.25% in April 2016 and 0.25% in October 16) to 6.25% and narrowed the policy rate corridor from 1% to 0.5% in April 2016. Thus the Bank rate reduced to 6.75%.

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

RECOVERY DEPARTMENT

The bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, Appointment of Recovery/Enforcement Agencies, Sale of assets to ARCs, Willful Defaulters, One Time settlement Schemes and MIS. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in Economy and trends in NPA Resolution/Management.

During the year 2016-17, though the Cash Recovery of Rs.2378 crore, Upgradation of Rs.1183 crore aggregating to Rs.3561 crore, the performance was impacted by the fresh accretion of some high ticket accounts. (40 accounts of Rs.50.00 crore and above amounting to Rs.6116 crore).

INFORMATION TECHNOLOGY

The Bank achieved 100% coverage of branches under Centralised Banking Solution (CBS) in December 2010. The Bank has put in place state of the Art IT infrastructure and automated the business processes to ensure operational efficiency and promptness of the service to customers.

Updation/ augmentation of existing computing resources viz. hardware, networking, software, security and other associated requirements are done in tune with future business projections and other statutory and security obligations. Bank has setup a Disaster Recovery Centre and is conducting regular DR Drills as per regulatory guidelines in line with Bank's policy. All Policies and Procedures are also introduced to safeguard the assets of the bank to safeguard interests of the customers. Bank has implemented Near Site to ensure Business continuity with Zero Data loss. Many new functionalities are being implemented as per requirements on an ongoing basis.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. Accordingly 3661 Branches were subjected to RBIA & Branches were rated. There are 2330 branches with Medium Risk Rating, 2315 branches with Low Risk Rating and 51 branches with High Risk Rating as on 31.03.2017. No branch of the Bank is rated under Very High Risk or Extremely High Risk category.

BRANCH EXPANSION

As on 31st March 2017, Bank has network of 4714 branches, 3677 Ultra Small Branches, 5285 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. Bank is having pan India presence covering all 29 States, 5 out of 6 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 626 Districts out of 707 districts in the country.

OPERATIONS

- ❖ **Demonetization** – The Bank has efficiently managed the receipt /exchange of SBN notes and issuance of small denomination /new currency notes to customers /general public.
- ❖ **BCSBI Rating** – BCSBI has rated our bank “**ABOVE AVERAGE** ” in Customer service Code compliance . The raking of our bank has also improved upward .
- ❖ **Redressal of Grievances** - Complaints received on various platforms are being resolved promptly. Complaints of Staff misbehavior are investigated through retired General Managers of other banks and actions are initiated against erring staff.



CORPORATE COMMUNICATIONS

It continued to be our endeavor this year to make consistent efforts with thrust on Low cost advertising to generate public awareness about our products & services through print, electronic, outdoor and other mass communication vehicles, to sustain and enhance our brand image while adopting go-green measures and to augment the business of our Bank with active engagement/involvement of field staff. For enhancement of visibility on pan India basis various publicity activities such as branding on Traffic barricades, No Parking Boards, Police booth, Utility Kiosks, Wall painting, Auto rickshaw, Bus & Train branding were done in addition to the sponsorship of Local sports/Yatras/Events/Kisan camps/conferences at the field level. To support these activities Local cable, FM Radio, Mobile app, UFO movies, PVR cinemas were also used.

VIGILANCE

In order to ensure effective management of the Vigilance Dept. and to improve operational efficiency, e-Vigilance Portal has since been introduced. This would help to monitor the movement of DI cases and Complaints on real time basis. There has been considerable improvement in disposal of Vigilance cases. All Branches/Regional Offices of the Bank were fully involved in propagating this year 'Vigilance Awareness Programme', public participation to promote integrity and to eradicate corruption. More than 180 workshops were conducted at schools/colleges and Gram Panchayats across the country.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

MANPOWER:

At the end of March 2017 the staff strength of the Bank stood at 37,044 as against 37,685 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	March 2017	March 2016
Officers	16,247	16,115
Clerks	13,001	13,103
Sub-staff	7,796	8,467
Grand Total	37,044	37,685

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

i. CENTBANK HOME FINANCE LIMITED

- ❖ Owned funds stood at Rs 88.35 crores as on March 2017.
- ❖ During the year the total advances of the company improved to Rs.1322.62 Crores in March, 2017 from Rs.1110.21 Crores as on March, 2016, Y-o-Y growth of 19.13%. Housing Loan increased to Rs 1085.53 Crores as on 31.03.2017 as against 886.06 Crores as on 31.03.2016 registering growth at rate of 22.51%.

ii. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- ❖ Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- ❖ The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship activities.

Financial Update:

- ❖ The company earned a Net Profit after Tax of Rs. 2.77 crore for the year ended 31 March 2017 against Net Profit of Rs. 2.00 crore in the previous year.



❖ Segment-wise earnings:

(Amounts in Rupees)

Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16
Fees from Executor Trusteeship	36,97,765	40,97,743
Fees from Debenture & Security Trusteeship	2,69,31,110	2,56,73,602
Other income (Interest)	3,02,88,904	3,23,96,472
Total	6,09,17,779	6,21,67,817

 iii **INDO-ZAMBIA BANK LTD**

- ❖ The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity.
- ❖ Bank's financial year is the calendar year.
- ❖ The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- ❖ As at the end of December 2016, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwacha 1 each value.
- ❖ Bank has made net profit of Kwacha 83.61 Mio. (Rs. 55.74 Crore) for the calendar year 2016.
- ❖ During the year the Bank declared dividend for the year 2016. Accordingly, our Bank received dividend of USD 616,748/- equivalent to Rs. 4,79,90,324 /- on 15/03/2017.

 iv. **Regional Rural Banks :**

We have 3 RRBs as on 31st March 2017 in 3 states covering 47 districts with a network of 1629 branches.

Awards & accolades

- ❖ During the Financial Year 2016-17, Bank received three first prizes for all three linguistic regions under "RBI Governor Shield Scheme."
- ❖ Bank was awarded "Rajbhasha Kirti Puraskaar" by President of India.
- ❖ Bank was also awarded first prize for Excellent Implementation of Official Language Policy of Government of India in Mumbai by a renowned organization "Ashirwad".



CORPORATE GOVERNANCE

BANK'S PHILOSOPHY OF CORPORATE GOVERNANCE

- ❖ Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.
- ❖ The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.
- ❖ ICRA Limited has reaffirmed the "CGR3+" (pronounced CGR Three plus) rating to the Corporate Governance practices of our Bank. This rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, conventions and codes as would provide its financial stakeholders a high level of assurance on the quality of Corporate Governance.

BOARD OF DIRECTORS

- ❖ The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.
- ❖ The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.
- ❖ During the year under review i.e. 2016-17, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2017	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2017		Directorship of other Companies as on 31.03.2017	Whether attended last AGM held on 30.06.2016
						Member	Chairman		
1.	Shri Rajeev Rishi	Chairman and Managing Director	From 01.08.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, CIWD	MCB, RMC, LVFC, CSC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, CIWD	-Indo Zambia Bank Ltd. -India Infrastructure Finance Co. Ltd. -Indian Banks Association -National Credit Guarantee Trustee Company -Exim Bank -Export Credit Guarantee Corporation	Yes
2.	Shri R.K.Goyal	Executive Director	From 11.01.2013 To 31.12.2016	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd.	Yes



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2017	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2017		Directorship of other Companies as on 31.03.2017	Whether attended last AGM held on 30.06.2016
						Member	Chairman		
3.	Shri B.K. Divakara	Executive Director	From 23.01.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd. -Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes
4.	Shri R. C. Lodha	Executive Director	From 11.03.2015 To 28.02.2017	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd.	Yes
5.	Shri P Ramana Murthy	Executive Director	From 17.02.2017	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM
6.	Dr. Saurabh Garg	Government of India Nominee Director	From 19.02.2014	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, RC, VIG, MRC, HR, NOMINATION	RC, NOMINATION	NIL	No
7.	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014	NIL	Banking and Finance	MCB, ACB, RC, VIG	NIL	NIL	No
8.	Shri S.B. Rode	Officer Employee Director	From 02.04.2013 To 01.04.2016	133	Banker	MCB, RMC, HR	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM
9.	Shri Gurbax Kumar Joshi	Workmen Employee Director	From 10.07.2013 To 09.07.2016	NIL	Banker	MCB, CSC, ITS, RMC, LVFC, NOMINATION, HR	NIL	NIL	No



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2017	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2017		Directorship of other Companies as on 31.03.2017	Whether attended last AGM held on 30.06.2016
						Member	Chairman		
10.	Smt. N.S. Rathnaprabha	Part Time Non-official Director	From 19.12.2013 To 18.12.2016	NIL	Social Service	ACB RMC, SRC, CSC, RC, CIWD, LVFC, MC, NOMINATION	SRC	NIL	Yes
11.	Shri S. Bandyopadhyay	Share-holders' Nominee Director	From 01.07.2015	100	Administration	ACB, RMC, ITS, SRC, CSC, MRC, HR	SRC, IT, ACB	LIC Pension Fund	No
12.	Shri K.R. Patel	Share-holders' Nominee Director	From 01.07.2015	163	Professional	MCB, LVFC, ITS, SRC, CIWD, RMC, MRC, CSC	NIL	NIL	No
13.	Shri N Nityananda	Part Time Non-official Director	From 21.06.2016	NIL	Chartered Accountant	ACB, RMC, LVFC, SRC, CSC, NOMINATION	NIL	NIL	No

The Chairman and Managing Director and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

MCB	-	Management Committee of the Board
ACB	-	Audit Committee of the Board
RMC	-	Risk Management Committee
LVFC	-	Large Value Fraud Committee
CSC	-	Customer Service Committee
ITS	-	Information Technology Strategy Committee
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
RC	-	Remuneration Committee
VIG	-	Vigilance Committee
CAC	-	Credit Approval Committee
HR	-	Human Resources Committee
MRC	-	Monitoring of Recovery Committee
CRC	-	Capital Raising Committee
CIWD	-	Committee of the Board to Review the Identification of Wilful Defaulter
NOMINATION	-	Nomination Committee

The Board of Directors met 17 times during the financial year 2016-17.



Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2017, it comprised 8 members consisting of the Chairman & Managing Director, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, and 3 other Directors which include 1 Shareholders' Nominee Director, 1 Workmen Employee Director and 1 Officer Employee Director. The Part-Time/Workmen directors are rotated every six months. However, as on 31.03.2017 the position of 1 Executive Director, 1 Workmen Employee Director and 1 Officer Employee Director is vacant. The Management Committee of the Board met 14 times during the financial year 2016-17.

Credit Approval Committee:

Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals upto Rs.400.00 crore, compromise / write off proposals upto Rs.10.00 crore, premises proposals upto Rs.15.00 lacs per annum (Rural Area), upto Rs.25.00 lacs per annum (Semi-urban Area), upto Rs. 50.00 lacs per annum (Urban Area) and upto Rs.1.00 crore per annum (Metro Area). The Present Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors and General Managers in charge of Risk Management, Credit, Credit Monitoring, and Recovery. The Credit Approval Committee met 21 times during the year.

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. The Audit Committee of the Board shall comprise of Executive Directors, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB. During the year, the Audit Committee met 12 times.

Risk Management Committee

In terms of Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda N.BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and vide Board Agenda No.BM/09/2002-03/3.9 of meeting dated 25.11.2002, the Risk Management Committee of the Board is formed. The committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors, GOI Nominee Director, RBI Nominee Director and three Non Official Part Time Directors. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year. The Committee met 4 times during the year.

Remuneration Committee and Remuneration of Directors:

- ❖ The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholtime Directors. The Committee consists of Govt. of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two Independent Directors. During the Financial Year 2016-17, no meeting of the Remuneration Committee was held to consider performance linked incentive to Wholtime Directors.
- ❖ The Non Official Independent Directors / Non- Executive Director were paid sitting fees of Rs.20,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and Rs.10,000/- for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board, apart from the Bank incurring the usual travelling and stay expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India / Reserve Bank of India.



- ❖ During the financial year 2016-17, the following amounts have been paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr	Name	₹ in lacs
1.	Shri Rajeev Rishi (CMD)	28.70
2.	Shri Raj Kumar Goyal (ED)	38.94
3.	Shri B K Divakara (ED)	23.11
4.	Shri R C Lodha (ED)	39.54
5.	Shri P. R. Murthy (ED)	2.58

- ❖ During the year under review, the Bank has paid Rs.10,00,000/- (Rupees Ten lac only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and Rs.14,50,000/- (Rupees Fourteen lac Fifty thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

Nomination Committee :

In terms of the RBI Circulars nos. DBOD. No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with DBOD. No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011, Nomination Committee of the Bank has been constituted to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected director(s)/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act (i.e. Shareholder Director) based on the broad criteria i.e. (i) Educational qualification, (ii) Experience and field of expertise & (iii) Track record and integrity

During the financial year 2016-17, meeting of the Nomination Committee was held on 16.07.2016 to determine the fit & proper criteria of Shareholder Directors namely - Shri S. Bandyopadhyay and Shri Ketul R. Patel and the committee accorded 'fit and proper status' to Shri S. Bandyopadhyay and Shri Ketul R. Patel who had been elected as a Shareholder Directors under Sec 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years w.e.f. 1st July 2015 to 30th June 2018.

Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non- receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two Independent Directors. Smt. N.S. Rathnaprabha was chairperson of the Committee during financial year 2016-17. After the expiry of her tenure on 18.12.2016, Shri S. Bandyopadhyay was appointed as Chairman of the Committee. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year. The Committee met 4 times during the year.

The details of Investor Grievances for the year 2016-17 (01.04.2016 to 31.03.2017) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	NIL
2	Non Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	6
3	Non Receipt of Dividend Warrants	169
4	Not Receipt of Annual Report/EGM Notice	61
5	Non Receipt of Refund Order	8
6	Correction in Refund Instrument	0
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	2
8	Total Grievances received	246
9	Total Grievances attended/resolved	246
10	Total complaints pending at the end of the year	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.



Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Assistant General Manager-MBD/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges besides acting as the Compliance Officer for activities pertaining to Bankers to issue, Merchant Banking and Debenture Trusteeships.

Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the year, Bank has raised Rs. 1297.00 crore (including premium) from Government of India on 8th September, 2016 by allotment of 12,38,06,796 equity shares on preferential basis. Further, the Bank also raised Rs. 156.79 crore equity capital by issuance and allotment of 1,71,44,954 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis on 5th December, 2016.

Bank has raised equity capital of Rs. 583.00 crore arising out of extinguishment of 5830 Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of the face value of Rs. 10.00 lac each held by Government of India and kept into Share Application Money Account, pending allotment of shares. Further, the Bank has also received capital funds of Rs. 100.00 crore from Government of India on 31.03.2017 and the same has been kept in the newly opened Bank Account namely, - "Central Bank of India Share Application Money Account" pending allotment of shares.

Bank has also raised Basel III Compliant Tier II Bonds of Rs. 500.00 crore on 7th March, 2017.

The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also uploaded on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

General Shareholder Information

10th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Friday, 30th June, 2017 at 11:00 AM at 9th Floor at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021.

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2016-17
2. Date of Book Closure: 27th June 2017 to 30th June, 2017 (Both days inclusive)
3. No dividend was recommended for the financial year 2016-17

Details of General Body Meetings held during the last three years are given herein below:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Ninth Annual General Meeting	30 th June, 2016 11:00 AM	9 th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021
2.	Eighth Annual General Meeting	30 th June, 2015 11:00 AM	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital / Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056
3.	Seventh Annual General Meeting	30 th June, 2014 11:00 AM	Same as above



Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2017-18 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Bonds-Tier-II Capital position as on 31.03.2017

Series Particulars	Issue date	Total Value (Rs. in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Basel III Complaint Sr II	07.03.2017	500.00	INE483A09278
Total		5544.10	

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2017-18 to the Exchange.

Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/ grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park,
LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai – 400 083
Tel: 022-49186270
Fax: 022-49186060
Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer

Central Bank of India
9th Floor, Chandermukhi
Nariman Point
Mumbai 400 021
Contact No. 022- 6638 7818
Fax No.: 022- 2283 5198
Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in



Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2017 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	114	135640	0.01
NSDL	88403	329322715	17.31
CDSL*	50815	1572712609	82.68
Total	139332	1902170964	100.00

* Including 1546139179 (81.28%) held IN DEMAT form by the Central Government.

There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2017 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	240	33,219
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	6	366
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	6	366
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	234	32,853

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

Annexure I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2016-17.

Sd/-
[Rajeev Rishi]
 Chairman and Managing Director

Place: Mumbai
 Date : May 23, 2017



C E R T I F I C A T E

To the Members of Central Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2017 as stipulated in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation 2015.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA R.P. SINGH)
PARTNER
M.No.052438

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA S. K. MEHTA)
PARTNER
M.No.010870

Place: Delhi

Date: May 13, 2017



CHANDABHOY & JASSOOBHOY Chartered Accountants, 208, Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel MUMBAI-400013	LODHA & CO. Chartered Accountants, 14 Government Place East KOLKATA-700069
PATHAK H. D. & ASSOCIATES Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, MUMBAI- 400021	S. K. MEHTA & CO. Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place NEW DELHI-110008

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Central Bank of India

Report On the Financial Statements

- We have audited the accompanying financial statements of Central Bank of India (the "Bank") as at March 31, 2017 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2017 and the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies, notes and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of **20** Branches, **23** Regional Offices audited by us and **2158** branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns of **2536** branches, **36** Regional Offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 14.51 per cent of advances, 31.74 per cent of deposits, 8.41 per cent of interest income and 29.90 per cent of interest expense.

Management's Responsibility for the Financial Statements

- The bank's management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India Guidelines and circulars issued from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

- In our opinion, as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - the Balance Sheet, read with significant accounting policies and the notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;



- b) the Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to:

Note no. 6(h)(vi) of Schedule 18 regarding Inter- Bank Participation Certificate (IBPC) of Rs. 22,991.22 crores which have been issued on risk sharing basis, for a maximum period of 180 days, thereby reducing the Bank's total advances as on March 31, 2017 by Rs.22,991.22 crores.

Our opinion is not qualified in respect of above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank, as supplemented with the information furnished by the Management, have been found adequate for the purposes of our audit.
10. We further report that:
 - a) the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
 - b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA R.P. SINGH)
PARTNER
M.No.052438

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA S. K. MEHTA)
PARTNER
M.No.010870

Place: Delhi

Date: May 13, 2017



Auditors Report on Abridged Financial Statements

CHANDABHOY & JASSOOBHOY Chartered Accountants, 208, Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel MUMBAI-400013	LODHA & CO. Chartered Accountants, 14 Government Place East KOLKATA-700069
PATHAK H. D. & ASSOCIATES Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, MUMBAI- 400021	S. K. MEHTA & CO. Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place NEW DELHI-110008

To the Members of Central Bank of India

We have examined the attached abridged Balance Sheet of Central Bank of India ("the Bank") as at March 31, 2017, the abridged Profit and Loss Account and also the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto together with the notes thereon (hereinafter referred as Abridged Financial Statements).

These abridged financial statements have been prepared by the Bank pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116/2012-BOA dated August 1, 2012 and are based on the audited financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2017 drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and covered by our independent auditors report dated May 13, 2017, which is attached hereto.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
 PARTNER
 M.No.049289

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
 PARTNER
 M.No.015585

For LODHA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R.No.301051E

(CA R.P. SINGH)
 PARTNER
 M.No.052438

For S. K. MEHTA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.000478N

(CA S. K. MEHTA)
 PARTNER
 M.No.010870

Place: Delhi
 Date: May 13, 2017



Abridged Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2017

(Amount in lakh)

PARTICULARS	As at March 31, 2017 (Current Year)	As at March 31, 2016 (Previous Year)
CAPITAL & LIABILITIES		
Capital	190,217.10	168,971.43
Reserves & Surplus		
Statutory Reserves	206,359.79	206,359.79
Capital Reserve (Note 1)	422,264.75	392,587.70
Share Premium	1,186,586.39	1,008,953.00
Revenue and Other Reserves	247,025.13	234,397.71
Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	10,000.00	10,000.00
Balance in Profit & Loss a/c.	(535,639.17)	(253,355.56)
Total	1,536,596.89	1,598,942.64
Share application Money pending allotment	68,300.00	53,500.00
Deposits		
Demand Deposits	1,320,712.52	1,197,037.20
Savings Bank Deposits	10,310,249.78	8,248,491.45
Term Deposits	18,036,157.04	17,172,890.08
Total	29,667,119.34	26,618,418.73
Borrowings		
1. Borrowings in India		
(a) From Reserve Bank of India	1,100.53	82,500.00
(b) from other banks	289,206.64	85.82
(c) from other institutions and agencies	69,617.36	155,493.52
(d) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	115,910.00	185,910.00
(e) Upper Tier II bonds	288,500.00	288,500.00
(f) Innovative Perpetual Debt Instrument	13,910.00	108,300.00
(g) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds	150,000.00	100,000.00
2. Borrowings outside India	-	-
Total [1 & 2]	928,244.53	920,789.34
Other Liabilities & Provisions		
Bills payable	75,023.69	66,245.09
Inter-office adjustments (net)	-	-
Interest accrued	81,337.57	153,251.53
Provisions towards standard assets	-	-
Deferred Tax Liability (net)	-	-
Others	793,355.29	966,491.20
Total	949,716.55	1,185,987.82
Total Capital and Liabilities	33,340,194.41	30,546,609.96
ASSETS		
Cash and balance with Reserve Bank of India	7,508,675.51	1,406,950.75
Balances with Banks and money at call and short notice		
Balances with Banks in India	15,715.39	16,927.47
Money at call and short notice in India	349,998.52	120,000.00
Balances outside India	2,263.80	10,226.37
Total	367,977.71	147,153.84



Abridged Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2017

(Amount in lakh)

PARTICULARS	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016
	(Current Year)	(Previous Year)
Investments		
1. In India		
(a) Government Securities	7,407,073.28	6,653,268.94
(b) Other approved securities	-	-
(c) Shares	135,701.32	105,338.42
(d) Debentures and Bonds	1,035,124.02	1,727,764.11
(e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	30,399.87	30,399.87
(f) Others	596,440.45	365,233.56
2. Outside India	4,748.85	4,748.85
Total [1 & 2]	9,209,487.79	8,886,753.75
Advances		
1. In India		
(a) Bills purchased and discounted	162,945.64	178,197.92
(b) Cash credits, overdrafts and loans receivable on demand	6,589,911.81	7,469,508.03
(c) Term loans	7,187,019.53	10,353,252.85
2. Outside India	-	-
Total [1 & 2]	13,939,876.98	18,000,958.80
Fixed assets	429,037.40	435,928.73
Other assets		
Inter-office adjustments (net)	30,615.59	353,113.45
Interest accrued	149,252.13	149,443.34
Tax paid in advance/ deducted at source	527,754.62	401,163.39
Deferred Tax Asset (net)	235,368.00	108,828.00
Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
Stationery and Stamps	1,793.63	1,807.36
Others	940,355.05	654,508.55
Total	1,885,139.02	1,668,864.09
Total Assets	33,340,194.41	30,546,609.96
Contingent Liabilities		
Claims against the bank not acknowledged as debts	10,905.47	13,078.19
Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc.	329,813.81	247,223.29
Liability on account of outstanding forward exchange contracts	5,471,055.65	5,075,018.83
Guarantees given on behalf of constituents	1,117,404.25	1,111,491.77
Acceptances, endorsements and other obligations	1,379,653.86	1,211,039.11
Other items for which the bank is contingently liable	26,077.60	20,000.00
Liability for Partly paid investments	1,392.25	2,493.03
Total	8,336,302.88	7,680,344.22
Bills for collection	916,893.53	118,375,835.47

P. RAMANA MURTHY
EXECUTIVE DIRECTOR

B.K. DIVAKARA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJEEV RISHI
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Delhi

Date : May 13, 2017



SAURABH GARG

DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR

DIRECTOR

SUPRATIM BANDYOPADHYAY

DIRECTOR

KETUL R. PATEL

DIRECTOR

N. NITYANANDA

DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.NO.-101647W

(CA AMBESH A DAVE)

PARTNER

M. No.049289

For LODHA & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.301051E

(CA R.P.SINGH)

PARTNER

M.No.052438

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)

PARTNER

M.No,015585

For S.K.MEHTA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.000478N

(CA S.K. MEHTA)

PARTNER

M.No.010870

As per our report of even date

Place : Delhi

Date : May 13, 2017



Abridged Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ended March 31, 2017

(amount in lakh)

PARTICULARS	For the year ended March 31, 2017 (Current Year)	For the year ended March 31, 2016 (Previous Year)
Income		
Interest earned		
On advances/ bills	1,628,341.21	1,897,770.92
On investments	737,184.85	647,385.02
On balances with RBI and inter-bank funds	63,882.42	9,530.46
Others	36,732.35	34,103.31
Total	2,466,140.83	2,588,789.71
Other income		
Commission, exchange and brokerage	92,929.44	90,836.65
Net profit on sale of investments	154,165.57	58,681.86
Net profit on sale of land, buildings and other assets	(124.21)	7,431.45
Net profit on exchange transactions	16,906.88	16,495.88
Income by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/ in India	1,281.58	1,002.69
Miscellaneous income	22,405.14	19,430.04
Total	287,564.40	193,878.57
Total income	2,753,705.23	2,782,668.28
Expenditure		
Interest expended		
On deposits	1,733,039.66	1,765,334.17
On RBI/ inter-bank borrowings	370.22	20,746.37
Others	75,329.70	96,146.35
Total	1,808,739.58	1,882,226.89
Operating expenses		
Payments to and provisions for employees	421,431.17	446,567.42
Rent, taxes and lighting	44,604.06	40,043.97
Printing and stationery	4,378.60	4,437.30
Advertisement and publicity	3,332.85	3,092.97
Depreciation on bank's property	25,737.12	23,943.38
Director's fees, allowances and expenses	81.60	84.78
Auditor's fee and expenses (including branch auditors)	2,991.63	2,520.30
Law charges	1,998.25	1,801.40
Postage, telegrams, telephones etc.	4,693.46	7,456.60
Repairs and maintenance	12,074.55	6,951.28
Insurance	32,534.11	26,998.81
Others	82,245.38	72,248.69
Total	636,102.78	636,146.91
Total Expenses	2,444,842.36	2,518,373.80



Abridged Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ended March 31, 2017

(amount in lakh)

PARTICULARS	For the year ended March 31, 2017 (Current Year)	For the year ended March 31, 2016 (Previous Year)
Provisions and contingencies		
Provisions for depreciation on investment	39,443.86	133,354.22
Provision towards non performing assets	653,670.00	491,273.25
Provision towards standard assets	(16,381.49)	(1,507.91)
Others (excluding income taxes)	(14,979.73)	(121,929.07)
Total	661,752.64	501,190.49
Total expenses and provisions	3,106,595.00	3,019,564.29
Profit/(loss) before Prior period item and tax	(352,889.77)	(236,896.00)
Less: Prior period Item	-	30,052.00
Profit/(Loss) after exceptional/Prior period Item before Tax	(352,889.77)	(266,948.00)
Current tax	-	-
Deferred tax	(108,980.00)	(125,129.00)
Profit/(loss) after tax	(243,909.77)	(141,819.01)
Profit/ Loss brought forward	(253,355.57)	(102,277.26)
Total	(497,265.34)	(244,096.27)
Appropriations		
Transfer to :		
Statutory Reserve	-	-
Investment Reserve	38,373.83	9,259.30
Staff Welfare Fund	-	-
Revenue Reserves	-	-
Proposed Dividend - Preference Capital	-	-
Proposed Dividend - Equity Capital	-	-
Fund in lieu of Insurance	-	-
Dividend Tax	-	-
Balance carried forward to balance sheet	(535,639.17)	(253,355.57)

P. RAMANA MURTHY
EXECUTIVE DIRECTOR

B.K. DIVAKARA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJEEV RISHI
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Delhi

Date : May 13, 2017



SAURABH GARG

DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR

DIRECTOR

SUPRATIM BANDYOPADHYAY

DIRECTOR

KETUL R. PATEL

DIRECTOR

N. NITYANANDA

DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.NO.-101647W

(CA AMBESH A DAVE)

PARTNER

M. No.049289

For LODHA & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.301051E

(CA R.P.SINGH)

PARTNER

M.No.052438

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)

PARTNER

M.No,015585

For S.K.MEHTA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.000478N

(CA S.K. MEHTA)

PARTNER

M.No.010870

As per our report of even date

Place : Delhi

Date : May 13, 2017



Notes to Abridged Financial Statements for the year ended March 31, 2017

1. Basis of Preparation:

The abridged Financial Statements have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2017 (hereinafter referred to as 'Annual Standalone Financial Statements') pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116.2012-BOA dated August 1, 2012.

2. Significant Accounting Policies:

Significant accounting policies of the Bank are contained in Schedule 17 of the 'Annual Standalone Financial Statements'.

3. Notes to Accounts and other Disclosures:

Notes to Accounts and other disclosures are contained in Schedule 18 of the Annual Standalone Financial Statements.

4. Attention is invited in the Auditor's Report on following matter:

- a. In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) of Rs.22,991.22 Crores have been issued on risk sharing basis for a maximum period of 180 days, thereby reducing the Bank's Total Advances as on 31.03.2017 to same extent.

Except as above, there are no further notes/Disclosures required therein.

(P. RAMANA MURTHY)
EXECUTIVE DIRECTOR

(B. K. DIVAKARA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJEEV RISHI)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

SUPRATIM BANDYOPADHYAY
DIRECTOR

KETUL R. PATEL
DIRECTOR

N. NITYANANDA
DIRECTOR

Place : Delhi

Date : May 13, 2017



Central Bank of India Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2017	31- 03- 2016
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit/(Loss) before taxes	(3,528.90)	(2,669.48)
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	257.37	239.43
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	394.42	850.61
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	6,215.97	5,397.47
	Provision for Standard Assets	(163.81)	(1,250.42)
	Provision for Other items (Net)	170.95	314.76
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	1.24	(74.31)
	Dividend Received from Subsidiaries	(12.82)	(10.03)
	Sub total	3,334.42	2,798.03
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	30,487.00	10,611.80
	Increase / (Decrease) in Borrowings	657.56	(16,766.24)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(2,511.47)	(978.09)
	(Increase) / Decrease in Advances	34,394.85	4,320.89
	(Increase) / Decrease in Investments	(3,621.76)	21.81
	(Increase) / Decrease in Other Assets	197.62	1,246.79
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(1,090.91)	(946.83)
	Sub total	58,512.89	(2,489.87)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	61,847.31	308.16
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	3.06	117.07
	Purchase of Fixed Assets	(191.53)	(305.97)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	12.82	10.03
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(175.65)	(178.87)



Central Bank of India Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2017	31- 03- 2016
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital (Including Share Premium)	1,453.79	165.57
	Share Application Money	100.00	535.00
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	-	(82.91)
	Dividend Tax	-	(16.18)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	1,553.79	601.48
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	63,225.45	730.77
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	14,069.51	14,114.85
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,471.54	695.43
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	15,541.05	14,810.28
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	75,086.76	14,069.51
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,679.74	1,471.54
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	78,766.50	15,541.05

Notes:

- 1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard-3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

P. RAMANA MURTHY
EXECUTIVE DIRECTOR

B.K. DIVAKARA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJEEV RISHI
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Delhi

Date : May 13, 2017



SAURABH GARG

DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR

DIRECTOR

SUPRATIM BANDYOPADHYAY

DIRECTOR

KETUL R. PATEL

DIRECTOR

N. NITYANANDA

DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.NO.-101647W

(CA AMBESH A DAVE)

PARTNER

M. No.049289

For LODHA & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.301051E

(CA R.P.SINGH)

PARTNER

M.No.052438

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)

PARTNER

M.No,015585

For S.K.MEHTA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.000478N

(CA S.K. MEHTA)

PARTNER

M.No.010870

Place : Delhi

Date : May 13, 2017



<p>CHANDABHOY & JASSOOBHOY Chartered Accountants, 208, Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel MUMBAI-400013</p>	<p>LODHA & CO. Chartered Accountants, 14 Government Place East KOLKATA-700069</p>
<p>PATHAK H. D. & ASSOCIATES Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, MUMBAI- 400021</p>	<p>S. K. MEHTA & CO. Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place NEW DELHI-110008</p>

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To

The Board of Directors of Central Bank of India

Report on the Consolidated Financial Statements

- We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Central Bank of India (the "Parent Bank") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") and its associates at March 31, 2017 which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2017 and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies, notes and other explanatory information (hereinafter referred to as "Consolidated Financial Statements"), in which are incorporated:
 - Audited accounts of the Parent Bank, audited by us;
 - Audited accounts of two subsidiaries and three associates (Regional Rural Banks) which are audited by other auditors;
 - Audited accounts of one foreign associate has been audited by other auditor for a period of nine months and unaudited accounts for the three months period ended March 31, 2017.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

- The management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group and its associates in accordance with the requirement of Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India Guidelines and recognized accounting policies and practices, including the applicable Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's and its associates' preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's and its associates' internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Consolidated Financial Statements.



5. We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph 8 below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.

Opinion

6. Subject to limitations of audit indicated in paragraph 1 to 5 above, disclosure required and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries and associates as noted in Other Matter paragraph 8 below, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Consolidated Financial Statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- (i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2017;
 - (ii) in the case of Consolidated Profit and Loss Account, of the loss for the year ended on that date of the Group and its Associates ; and
 - (iii) In the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to:

Note no. 10 of Schedule 18 regarding Inter- Bank Participation Certificate (IBPC) of Rs. 22,991.22 crores which have been issued on risk sharing basis, for a maximum period of 180 days, thereby reducing the Parent Bank's total advances as on March 31, 2017 by Rs.22,991.22 crores.

Our opinion is not qualified in respect of above matter.

Other matter

8. We did not audit the following financial statements incorporated in the Consolidated Financial Statements:
- (i) two subsidiaries whose financial statements reflect total assets of Rs.1445.51 crores as at March 31, 2017, total revenue of Rs.147.17 crores and net cash outflows of Rs.18.12 crores for the year ended on that date;
 - (ii) four associates reflecting share of net loss of Rs.14.90 crores for the year ended on that date.

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.101647W

(CA NIRAV J. SANGHVI)
 PARTNER
 M.No.147529

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
 PARTNER
 M.No.015585

For LODHA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)
 PARTNER
 M.No.055104

For S. K. MEHTA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
 PARTNER
 M.No.087002

Place: Mumbai

Date: May 23, 2017



Auditors Report on Abridged Consolidated Financial Statements

CHANDABHOY & JASSOOBHOY Chartered Accountants, 208, Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel MUMBAI-400013	LODHA & CO. Chartered Accountants, 14 Government Place East KOLKATA-700069
PATHAK H. D. & ASSOCIATES Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, MUMBAI- 400021	S. K. MEHTA & CO. Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place NEW DELHI-110008

To the Board of Directors of Central Bank of India

We have examined the attached abridged consolidated Balance Sheet of Central Bank of India (the "Parent Bank") & its subsidiaries (collectively known as "Group") & Associates as at March 31, 2017, the abridged consolidated Profit and Loss Account annexed thereto together with the notes thereon (hereinafter referred as Abridged Consolidated Financial Statements).

These abridged financial statements have been prepared by the Bank pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116/2012-BOA dated August 1, 2012 and are based on the audited consolidated financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2017 prepared by the Parent Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard – 21, 'Consolidated Financials Statements' and Accounting Standard 23 – 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financials Statements' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and covered by our report dated May 23, 2017 to the Board of Directors of the Parent Bank, which is attached hereto.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA NIRAV J. SANGHVI)
PARTNER
M.No.147529

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)
PARTNER
M.No.055104

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

Place: Mumbai
Date: May 23, 2017



Abridged Consolidated Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2017

PARTICULARS	(Rs. in Lakh)	
	As at March 31, 2017 (Current Year)	As at March 31, 2016 (Previous Year)
CAPITAL & LIABILITIES		
Capital	190,217.10	168,971.43
Reserves & Surplus		
Statutory Reserves	207,591.31	207,591.31
Capital Reserve	422,264.76	392,587.71
Share Premium	1,186,586.39	1,008,953.00
Revenue and Other Reserves	243,297.23	231,489.89
Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	11,737.69	11,354.47
Balance in Profit & Loss a/c.	(508,851.64)	(223,690.74)
Total	1,562,625.74	1,628,285.64
Minorities Interest	3,462.26	3,506.98
Share application money pending allotment	68,300.00	53,500.00
Deposits		
Demand Deposits	1,319,677.47	1,194,445.27
Savings Bank Deposits	10,310,249.78	8,248,491.45
Term Deposits	18,100,995.41	17,225,693.65
Total	29,730,922.66	26,668,630.37
Borrowings		
1. Borrowings in India		
(a) From Reserve Bank of India	1,100.53	82,500.00
(b) from other banks	320,392.49	26,708.29
(c) from other institutions and agencies	69,617.36	155,493.52
(d) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	118,810.00	188,810.00
(e) Upper Tier II bonds	288,500.00	288,500.00
(f) Innovative Perpetual Debt Instrument	13,910.00	108,300.00
(g) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	150,000.00	100,000.00
2. Borrowings outside India	-	-
Total [1 & 2]	962,330.38	950,311.81
Other Liabilities & Provisions		
Bills payable	75,023.69	66,245.09
Inter-office adjustments (net)	-	-
Interest accrued	81,034.68	152,762.39
Provisions towards standard assets	54,463.58	66,866.91
Deferred Tax Liability (net)	-	-
Others	741,112.20	903,033.91
Total	951,634.15	1,188,908.30
Total Capital and Liabilities	33,469,492.29	30,662,114.53
ASSETS		
Cash and balance with Reserve Bank of India	7,508,718.01	1,407,020.36
Balances with banks and money at call and short notice		
Balances with banks in India	18,516.49	19,718.97
Money at call and short notice in India	349,998.52	120,000.00
Balances outside India	2,263.80	10,226.37
Total	370,778.81	149,945.34



Abridged Consolidated Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2017

PARTICULARS	(Rs. in Lakh)	
	As at March 31, 2017 (Current Year)	As at March 31, 2016 (Previous Year)
Investments		
1. In India		
(a) Government Securities	7,410,049.32	6,656,144.84
(b) Other approved securities	-	-
(c) Shares	135,701.32	105,338.42
(d) Debentures and Bonds	1,035,124.02	1,727,764.11
(e) Investments in Associates	37,779.72	42,154.94
(f) Others	596,440.45	365,233.56
2. Outside India	12,561.29	12,032.21
Total [1 & 2]	9,227,656.13	8,908,668.09
Advances		
1. In India		
(a) Bills purchased and discounted	162,945.64	178,197.92
(b) Cash credits, overdrafts and loans receivable on demand	6,603,962.48	7,481,506.51
(c) Term loans	7,279,528.14	10,429,813.97
2. Outside India	-	-
Total [1 & 2]	14,046,436.26	18,089,518.40
Fixed assets	429,104.05	436,013.48
Other assets		
Inter-office adjustments (net)	30,615.59	353,113.45
Interest accrued	149,452.08	149,570.64
Tax paid in advance/ deducted at source	528,211.30	401,649.05
Deferred Tax Asset (net)	234,436.16	108,490.98
Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
Stationery and Stamps	1,793.63	1,807.36
Others	941,401.31	655,428.41
Total	1,885,910.07	1,670,059.89
Goodwill on Consolidation	888.96	888.96
Total Assets	33,469,492.29	30,662,114.53
Contingent Liabilities		
Claims against the bank not acknowledged as debts	10,930.47	13,103.19
Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc	330,243.59	247,628.01
Liability for partly paid investments	1,392.25	2,493.03
Liability on account of outstanding forward exchange contracts	5,471,055.65	5,075,018.83
Guarantees given on behalf of constituents	1,117,404.25	1,111,491.77
Acceptances, endorsements and other obligations	1,379,653.86	1,211,039.11
Other items for which the bank is contingently liable	26,102.59	20,000.00
Total	8,336,782.66	7,680,773.94
Bills for collection	916,893.53	1,183,758.35

P. RAMANA MURTHY
EXECUTIVE DIRECTOR

B.K. DIVAKARA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJEEV RISHI
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Mumbai
Date : May 23, 2017



SAURABH GARG

DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR

DIRECTOR

SUPRATIM BANDYOPADHYAY

DIRECTOR

KETUL R. PATEL

DIRECTOR

N. NITYANANDA

DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.101647W

(CA NIRAV J. SANGHVI)

PARTNER

M.No.147529

For LODHA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)

PARTNER

M.No.055104

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)

PARTNER

M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)

PARTNER

M.No.087002

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 23, 2017



Abridged Consolidated Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ended March 31, 2017

(Rs. in Lakh)

PARTICULARS	For the year ended March 31, 2017 (Current Year)	For the year ended March 31, 2016 (Previous Year)
Income		
Interest earned		
On advances/ bills	1,639,168.30	1,907,375.78
On investments	737,679.56	647,755.11
On balances with RBI and inter-bank funds	63,882.42	9,530.46
Others	36,734.69	34,104.32
Total	2,477,464.97	2,598,765.67
Other income		
Commission, exchange and brokerage	93,235.73	91,134.36
Net profit on sale of investments	154,165.57	58,681.86
Net profit on sale of land, buildings and other assets	(124.12)	7,431.81
Net profit on exchange transactions	16,906.88	16,495.88
Income by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/ in India	-	661.31
Miscellaneous income	22,962.81	20,041.96
Total	287,146.87	194,447.18
Total income	2,764,611.84	2,793,212.85
Expenditure		
Interest expended		
On deposits	1,732,720.28	1,764,970.91
On RBI/ inter-bank borrowings	8,430.86	27,754.87
Others	75,493.89	96,204.06
Total	1,816,645.03	1,888,929.84
Operating expenses		
Payments to and provisions for employees	422,120.11	447,215.41
Rent, taxes and lighting	44,795.01	40,232.31
Printing and stationery	4,388.70	4,450.79
Advertisement and publicity	3,339.11	3,099.73
Depreciation on bank's property	25,769.28	23,978.89
Director's fees, allowances and expenses	115.19	120.71
Auditor's fee and expenses (including branch auditors)	3,023.44	2,534.03
Law charges	2,164.89	1,966.06
Postage, telegrams, telephones etc.	4,717.12	7,481.34
Repairs and maintenance	12,082.21	6,958.69
Bad Debts Written Off	51.30	141.97
Insurance	32,538.27	27,000.12
Others	82,722.69	72,589.04
Total	637,827.32	637,769.09



Abridged Consolidated Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ended March 31, 2017

(Rs. in Lakh)

PARTICULARS	For the year ended March 31, 2017 (Current Year)	For the year ended March 31, 2016 (Previous Year)
Provisions and contingencies		
Provisions for depreciation on investment	39,443.86	85,061.28
Provision towards non performing assets	621,953.13	539,991.51
Provision towards standard assets	(16,297.82)	(1,363.79)
Others (excluding income taxes)	17,291.04	(122,109.65)
Total	662,390.21	501,579.35
Total expenses and provisions	3,116,862.56	3,028,278.28
Profit/(loss) before Prior period item and tax	(352,250.72)	(235,065.43)
Less: Prior period item	(58.65)	(30,049.23)
Profit/(loss) after Prior period item before tax	(352,309.37)	(265,114.66)
Current tax	686.17	531.36
Deferred tax	(108,807.73)	(125,029.41)
Profit/(loss) after tax	(244,187.81)	(140,616.61)
Add: Share of earnings in Associates	(1,490.23)	1,458.63
Less Minority Interest	(258.06)	(478.53)
Less: Profit pre Acquisition	-	-
Group Profit	(245,936.10)	(139,636.51)
Profit/ Loss brought forward	(223,690.74)	(73,898.09)
Less Decrease in brought forward Consolidated Profit due to transfer of Investment in Associates	-	-
Total	(469,626.84)	(213,534.60)
Appropriations		
Transfer to :		
Statutory Reserve	-	100.00
Investment Reserve	38,373.83	9,259.30
Staff Welfare Fund	-	-
Revenue Reserves	120.81	95.41
Proposed Dividend - Preference Capital	-	-
Proposed Dividend - Equity Capital	-	-
Fund in lieu of Insurance	-	-
Dividend Tax	57.11	178.49
Special Reserve u/s 36 (1) (viii)	383.22	287.10
Appropriation of DTL on spe. Reser. as per NHB guidelines	272.12	211.28
CSR Reserves as per companies Act	17.71	24.56
Balance carried forward to balance sheet	(508,851.64)	(223,690.74)

P. RAMANA MURTHY
EXECUTIVE DIRECTOR

B.K. DIVAKARA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJEEV RISHI
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Mumbai

Date : May 23, 2017



SAURABH GARG

DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR

DIRECTOR

SUPRATIM BANDYOPADHYAY

DIRECTOR

KETUL R. PATEL

DIRECTOR

N. NITYANANDA

DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.101647W

(CA NIRAV J. SANGHVI)

PARTNER

M.No.147529

For LODHA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)

PARTNER

M.No.055104

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)

PARTNER

M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)

PARTNER

M.No.087002

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 23, 2017



NOTES TO ABRIDGED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

1. Basis of Preparation:

The abridged Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of the audited financial statements of the Parent Bank, its two Subsidiaries and four Associates for the year ended March 31, 2017 (hereinafter referred to as 'Consolidated Financial Statements') pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116.2012-BOA dated August 1, 2012.

2. Significant Accounting Policies:

Significant accounting policies including the basis of preparation of consolidated accounts are contained in Schedule 17 of the 'Consolidated Financial Statements'.

3. Notes to Accounts and other Disclosures:

Notes to Accounts and other disclosures are contained in Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements. However, notes and disclosures inviting attention in the Auditors' Report is given in Para 5 below.

4. The accounting year of the foreign Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. However, share in profit has been taken for 9 months based on audited figures and 3 months based on unaudited figures. Financial Statements of this associate are prepared as per accounting policies adopted under local laws. In the opinion of the management, impact is not material.

5. In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) of Rs.22,991.22 Crores have been issued on risk sharing basis for a maximum period of 180 days, thereby reducing the Parent Bank's Total Advances as on 31.03.2017 to same extent.

6. Figures of the previous years have been regrouped/reclassified wherever considered necessary to confirm to current years classification.

P. RAMANA MURTHY
EXECUTIVE DIRECTOR

B.K. DIVAKARA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJEEV RISHI
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Mumbai

Date : May 23, 2017



Central Bank of India Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2017	31- 03- 2016
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit/(Loss) before taxes	(3,523.09)	(2,651.15)
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	257.69	239.79
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	394.44	850.61
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	6,219.53	5,399.92
	Provision for Standard Assets	(162.98)	(1,247.97)
	Provision for Other items (Net)	172.91	314.76
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	1.24	(74.32)
	Sub total	3,359.74	2,831.64
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	30,622.92	10,744.70
	Increase / (Decrease) in Borrowings	703.19	(16,595.47)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(2,561.05)	(965.22)
	(Increase) / Decrease in Advances	34,211.29	4,020.39
	(Increase) / Decrease in Investments	(3,569.42)	(30.48)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	203.63	1,246.10
	Direct Taxes Paid (Net of Refund etc)	(1,099.63)	(970.37)
	Sub total	58,510.93	(2,550.35)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	61,870.67	281.29
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	3.06	157.35
	Purchase of Fixed Assets	(191.68)	(306.31)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(188.62)	(148.96)



Central Bank of India Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2017	31- 03- 2016
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital (Including Share Premium)	1,453.79	165.57
	Share Application Money	100.00	535.00
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(8.75)	(84.25)
	Dividend Tax	(1.78)	(17.03)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	1,543.26	599.29
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	63,225.31	731.62
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	14,070.20	14,116.37
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,499.45	721.66
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	15,569.65	14,838.03
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	75,087.18	14,070.20
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,707.79	1,499.45
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	78,794.97	15,569.65

Notes:

- 1) The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

P. RAMANA MURTHY
EXECUTIVE DIRECTOR

B.K. DIVAKARA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJEEV RISHI
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Mumbai

Date: 23.05.2017



SAURABH GARG

DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR

DIRECTOR

SUPRATIM BANDYOPADHYAY

DIRECTOR

KETUL R. PATEL

DIRECTOR

N. NITYANANDA

DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.101647W

(CA NIRAV J. SANGHVI)

PARTNER

M.No.147529

For LODHA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)

PARTNER

M.No.055104

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)

PARTNER

M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)

PARTNER

M.No.087002

Place : Mumbai

Date : May 23, 2017



Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B' PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

10th Annual General Meeting

Folio No. or DP Id # / Client-Id #	
No. of Shares held	

I/We, _____ resident/s of _____
in the district of _____ in the State of _____ being a
shareholder/shareholders of Central Bank of India hereby appoint Shri/Smt. _____
_____ resident of _____ in
the district of _____ in the State of _____ failing him/
her, Shri/Smt. _____ resident of _____
_____ in the district of _____ in the
State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 10th ANNUAL
GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Friday, 30th June, 2017 at 11.00 AM
on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 and at any adjournment
thereof.

Signed this _____ day of _____ 2017.

Signature of the Proxy _____

Please
affix
revenue
stamp

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name _____
(in Block Letters)

Address _____



INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 23rd June, 2017 being the immediate preceding working day to Sunday, 25th June 2017 which is holiday, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholders who have executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.


 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
 Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ATTENDANCE SLIP

 10th Annual General Meeting – Friday, 30th June, 2017 at 11.00 AM

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name and address of the Member (In Block Letters)	
Joint Holders	
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	

 Signature of the Member/Proxy/
 Representative Present

Day and Date	Friday, 30 th June, 2017
Place	Central Bank of India, Head Office, 9 th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021


 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
 Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 4000211

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

 10th Annual General Meeting – Friday, 30th June, 2017 at 11.00 AM

 Place: Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name of Member	
No. of Shares	

 Name and signature of attending Member/
 Proxy/Authorised Representative Present

Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India